रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 79] प्रयागराज, शनिवार, 04 अक्टूबर 2025 ई० (आश्विन 12, 1947 शक संवत्) [संख्या 40

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1– विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	527–534	3075
भाग 1–क– नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	1005–1028	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	...	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	83–86	975
भाग 4– निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये	...	975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	...	975
भाग 8–नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	1547-1559	975
स्टोर्स–पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	...	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

गृह (गोपन) विभाग

अनुभाग–3

अधिसूचना

30 अप्रैल, 2025 ई0

सं0 I/949400/2025-सी0एक्स0-3–चूँकि नीचे दी गयी अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि ऐसा स्थान है, जिसका प्रयोग गेल इण्डिया लिमिटेड द्वारा फूलपुर से हलदिया तक बिछायी गयी गैस पाइपलाइन के माध्यम से घरेलू उपयोग, उर्वरक संयंत्रों, और संयंत्र में स्थापित मशीनों के माध्यम से संयंत्र में सी एन जी गैस पाइपलाइन की अन्य कंपनियों को गैस की आपूर्ति के लिए किया जाता है,

और चूँकि उससे सम्बन्धित या उसके नष्ट होने या उसमें रूकावट या विघ्न पड़ने की सूचना से शत्रु को लाभ पहुँचेगा,

और चूँकि भारत का संविधान के अनुच्छेद 258 के खण्ड (1) के अनुसरण में, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने, भारत के गजट, असाधारण दिनांक 11 मई, 1963 के भाग-दो, धारा-3, उपधारा (दो) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या-एस0ओ0 1285, दिनाँक 04 मई, 1963 द्वारा शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (अधिनियम संख्या-19, सन् 1923) की धारा-2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (ग) तथा (घ) में विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के कृत्यों को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को न्यस्त किया है,

अतएवं, अब, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस0ओ0-1285, दिनाँक 04 मई, 1963 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे दी गयी अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि को पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए **"प्रतिषिद्ध स्थान"** घोषित करती हैं और राज्यपाल अग्रेतर यह निदेश देती हैं कि इस अधिसूचना की एक प्रति अंग्रेजी में और उस स्थान की जनभाषा में उक्त भू-गृहादि पर लगायी जायेगी।

अनुसूची

प्रतिषिद्ध स्थान का नाम और विनिर्देश
जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारा-धामरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (जे एच बी डी पी एल) प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा पाइपलाइन प्रोजेक्ट-हल्दिया गैस आपूर्ति पाइपलाइन के अधीन सेक्शनलाइज्ड वाल्व स्टेशन-3 जी, सी एन जी स्टेशन उर्वरक संयंत्र और हाउस होल्ड खसरा संख्या-141, गेल इण्डिया लिमिटेड के ग्राम-बसिरहाँ का खाता संख्या 00206, परगना व तहसील-निजामाबाद, जिला-आजमगढ़, उत्तर प्रदेश।

पूर्व में-	चकमार्ग गाटा सं0-139
पश्चिम में-	जुज भाग गाटा सं0-141
उत्तर में-	गम्भीरपुर-मार्टिनगंज मार्ग
दक्षिण में-	जुज भाग गाटा सं0-141

आज्ञा से,
राजेश कुमार
सचिव।

GOPAN DEPARTMENT

Anubhag-3

The Governor is pleased to Order the publication of the following English translation of **Notification No. I/949401/2025-CX-3,** dated April 30, 2025 for general Information.

Notification

April 30, 2025

No. I/949401/2025-CX-3–WHEREAS the premises named, detailed and described in the Schedule below is a place used to supply gas through the gas pipeline laid by Gail India Limited from Phulpur to Haldia, and for Domestic use, Fertillzer plats and other Companies of the C.N.G. Gas Pipeline in the plant through the machines installed in the plant;

AND WHEREAS an information with respect thereto, or the destruction or obstruction thereof, or interference therewith, would be useful to an enemy;

AND WHEREAS in pursuance of clause (1) of Article 258 of the Constitution of India, the Ministry of Home Affairs, Government of India has *vide* Notification no. S.O.1285 dated 4th May, 1963, published in Part II, section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary dated 11th May, 1963, entrusted the functions of the Central Government to the State Government of Uttar Pradesh in relation to any matter specified in Sub-clauses (c) and (d) of clause (8) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (Act no.19 of 1923);

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under Sub-clause (d) of clause (8) of section 2 of the aforesaid Act read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification no. S.O.1285, dated 04 May, 1963, the Governor is pleased to declare the premises named, detailed and described in the Schedule given below to be a **"prohibited place"** for the purposes of the aforesaid Act and the Governor is

further pleased to direct that a copy of this notification in English and in the vernacular of the locality be affixed to the said premises–

SCHEDULE

Name and specifications of the prohibited place.	
Jagdishpur-Haldia-Bokaro-Dhamra Natural Gas Pipeline (JHBDPL)-Pradhan Mantri Urja Ganga Pipeline Project-Santionalised Valve Station-3G (SV-3G) under Haldia Pipeline Supply Gas, C.N.G. Station Fertilizer Plant and Household at Khasra- No. 141, Khata No. 00206 of Gail India Limited, Village-Basiraha, Pargana and Tehsil-Nizamabad, District-Azamgarh, Uttar Pradesh.	
In East-	Chakmarg Gata No. 139
In West-	Juj Part Gata No. 141
In North-	Gambhirpur-Martinganj Road.
In South-	Juj Part Gata No. 141

By Order,
Rajesh Kumar,
Secretary.

गृह (गोपन) विभाग

अनुभाग–3

अधिसूचना

19 अगस्त, 2025 ई0

सं0 I/1059905/2025-सी0एक्स0-3–चूँकि नीचे दी गयी अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि ऐसा स्थान है, जिसका प्रयोग गेल पाईपलाईन संस्थान के सेक्शनलाईज्ड वाल्व स्टेशन-1ए द्वारा अन्य क्षेत्रों को हाई प्रेशर नेचुरल गैस की आपूर्ति की जाती है,

और चूँकि उससे सम्बन्धित या उसके नष्ट होने या उसमें रूकावट या विघ्न पड़ने की सूचना से शत्रु को लाभ पहुँचेगा,

और चूँकि भारत का संविधान के अनुच्छेद 258 के खण्ड (1) के अनुसरण में, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने, भारत के गजट, असाधारण दिनांक 11 मई, 1963 के भाग-दो, धारा-3, उपधारा (दो) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या-एस0ओ0 1285, दिनाँक 04 मई, 1963 द्वारा शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (अधिनियम संख्या-19, सन् 1923) की धारा-2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (ग) तथा (घ) में विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के कृत्यों को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को न्यस्त किया है,

अतएवं, अब, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस0ओ0-1285, दिनाँक 04 मई, 1963 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे दी गयी अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि को पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए **"प्रतिषिद्ध स्थान"** घोषित करती हैं और राज्यपाल अग्रेतर यह निर्देश देती हैं कि इस अधिसूचना की एक प्रति अंग्रेजी में और उस स्थान की जनभाषा में उक्त भू-गृहादि पर लगायी जायेगी।

अनुसूची

प्रतिषिद्ध स्थान का नाम और विनिर्देश	
गेल पाईपलाईन संस्थान के सेक्शनलाईज्ड वाल्व स्टेशन-1ए ग्राम-सैफपुर पल्ला, तहसील एवं जिला-मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।	
पूर्व में-	गाटा सं0-566, 568, 567 में रामकिशोर विशेष आदि के खेत है।
पश्चिम में-	गाटा सं0-345 में टोरेन्ट गैस आदि के खेत है।
उत्तर में-	गाटा सं0-569 व 346 में भगवान दास व जगदीश आदि के खेत है।
दक्षिण में-	10 फीट की काली डामर वाली पक्की सड़क है।

आज्ञा से,
जगदीश त्रिपाठी
सचिव

GOPAN DEPARTMENT

Anubhag-3

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **Notification No. I/1059903/2025-CX-3,** dated August 19, 2025 for general Information.

Notification

August 19, 2025

No. I/1059903/2025-CX-3–WHEREAS the premises named, detailed and described in the Schedule below is a place used for supplying high pressure natural gas to other areas through Sectionalised Valve Station-1A of GAIL Pipeline Institute;

AND WHEREAS an information with respect thereto, or the destruction or obstruction thereof, or interference therewith, would be useful to an enemy;

AND WHEREAS in pursuance of clause (1) of Article 258 of the Constitution of India, the Ministry of Home Affairs, Government of India has *vide* Notification no. S.O.1285 dated 4th May, 1963,

published in Part II, section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary dated 11th May, 1963, entrusted the functions of the Central Government to the State Government of Uttar Pradesh in relation to any matter specified in Sub-clauses (c) and (d) of clause (8) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (Act no.19 of 1923);

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under Sub-clause (d) of clause (8) of section 2 of the aforesaid Act read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification no. S.O.1285, dated 04 May, 1963, the Governor is pleased to declare the premises named, detailed and described in the Schedule given below to be a **"prohibited place"** for the purposes of the aforesaid Act and the Governor is further pleased to direct that a copy of this notification in English and in the vernacular of the locality be affixed to the said premises–

SCHEDULE

Name and specifications of the prohibited place.	
Sectionalised Valve Station-1A of GAIL Pipeline Institute Village-Saifpur Palla, Tehsil and District-Moradabad, Uttar Pradesh.	
In East-	There are farms of Ramkishore Vishesha etc in Gata No-566, 568, 567
In West-	There are fiels to Torrent Gas etc in Gata No-345
In North-	In Gata No-569 and 346 There are fields of Bhagwan Das and Jagdish etc.
In South-	There is a 10 feet black as phalt paved rod.

By Order,
JAGDISH TRIPATHI,
Secretary.

नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग

अनुभाग-4

नियुक्ति / विज्ञप्ति

04 मार्च, 2025 ई0

सं0 139 / 76-4-2025–मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-30826 / 2019 अंजली शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश, राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03 फरवरी, 2023 के क्रम में लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य / विशेष चयन) परीक्षा, 2013 के परिणाम संशोधन के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर चयनित / संस्तुत सुश्री प्रियंका कुमारी पुत्री श्री अजय कुमार प्रसाद, निवासी-प्रमोद ट्रेडिंग कम्पनी, नया बाजार, गल्ला पट्टी, सीवान, बिहार को चरित्र सत्यापन एवं स्वास्थ्य परीक्षण में उपयुक्त पाये जाने के उपरान्त नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अधीन लघु सिंचाई में

निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहायक अभियन्ता के पद पर वेतनमान रु0 56,100-1,77,500, पे0 लेवल-10 में मौलिक रूप से नियुक्त करते हुए कार्यालय मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, मुख्यालय से सम्बद्ध किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते है–

1–सम्बन्धित अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि 02 वर्ष (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) की होगी तथा उनकी सेवा-शर्ते शासन द्वारा निर्गत की गई नियमावलियों एवं शासनादेशों के अधीन विनियमित होगी।

2–सम्बन्धित अभ्यर्थी कार्य-भार ग्रहण करने से पूर्व उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-24 (3) के अन्तर्गत अपनी चल-अचल सम्पत्तियों का विवरण सहित घोषणा-पत्र तथा नियम-29 के अन्तर्गत इस आशय का घोषणा-पत्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे कि उनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां/पति नहीं है।

3– सम्बन्धित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

4– इस आदेश के निर्गमन के पश्चात यदि शासन के संज्ञान में आता है कि शैक्षिक/प्रशिक्षण/अनुभव सम्बन्धी योग्यता के सम्बन्ध में यदि कोई सम्बन्धित अभ्यर्थी आवश्यक तथा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर अथवा फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर चयनित होने में सफल हो गया है, तो ऐसे अभ्यर्थी इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे एवं इनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा यदि वेतन आहरण हुआ है, तो उसकी वसूली कर सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरूद्ध दण्डात्मक/विधिक कार्यवाही की जायेगी तथा भविष्य में उक्त पद के प्रति उनका कोई भी दावा/अधिकार मान्य नहीं होगा।

5– सम्बन्धित अभ्यर्थी आदेश की प्रति प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर कार्यालय-मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में योगदान आख्या प्रस्तुत कर दें। यदि वे निर्धारित समयावधि के अन्दर युक्ति-युक्त कारण के बिना योगदान नहीं करते है तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं है और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन समाप्त करने की कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

6– सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक योग्यता (हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट) सम्बन्धी अंक-पत्र/प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनका अभ्यर्थन/नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।

7– उक्त नियुक्ति आदेश मा0 उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या-(डी)475/2019 तथा विशेष अपील संख्या (डी) 278/2023 (नवीन SPLA संख्या-311(2023) में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

सं0 209/76-4-2025–मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-30826/2019 अंजली शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश, राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03 फरवरी, 2023 के क्रम में लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2013 के परिणाम संशोधन के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर चयनित/संस्तुत श्री राज बहादुर पुत्र श्री जवाहर लाल, निवासी-ग्राम-भैरोपुर, पो0-मुगरा बादशाहपुर, जिला-जौनपुर को चरित्र सत्यापन एवं स्वास्थ परिक्षण में उपयुक्त पाये जाने के उपरान्त नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अधीन लघु सिंचाई में निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहायक अभियन्ता के पद पर वेतनमान रु0 56,100-1,77,500, पे0 लेवल-10 में मौलिक रूप से नियुक्त करते हुए कार्यालय मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, मुख्यालय से सम्बद्ध किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते है–

1– सम्बन्धित अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि 02 वर्ष (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) की होगी तथा उनकी सेवा-शर्ते शासन द्वारा निर्गत की गई नियमावलियों एवं शासनादेशों के अधीन विनियमित होगी।

2– सम्बन्धित अभ्यर्थी कार्य-भार ग्रहण करने से पूर्व उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-24 (3) के अन्तर्गत अपनी चल-अचल सम्पत्तियों का विवरण सहित घोषणा-पत्र तथा नियम-29 के अन्तर्गत इस आशय का घोषणा-पत्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे कि उनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां/पति नहीं है।

3– सम्बन्धित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

4– इस आदेश के निर्गमन के पश्चात यदि शासन के संज्ञान में आता है कि शैक्षिक/प्रशिक्षण/अनुभव सम्बन्धी योग्यता के सम्बन्ध में यदि कोई सम्बन्धित अभ्यर्थी आवश्यक तथा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर अथवा फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर चयनित होने में सफल हो गया है, तो ऐसे अभ्यर्थी इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे एवं इनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा यदि वेतन आहरण हुआ है, तो उसकी वसूली कर सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरूद्ध दण्डात्मक/विधिक कार्यवाही की जायेगी तथा भविष्य में उक्त पद के प्रति उनका कोई भी दावा/अधिकार मान्य नहीं होगा।

5– सम्बन्धित अभ्यर्थी आदेश की प्रति प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर कार्यालय-मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में योगदान आख्या प्रस्तुत कर दे। यदि वे निर्धारित समयावधि के अन्दर युक्ति-युक्त कारण के बिना योगदान नहीं करते है तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं है और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन समाप्त करने की कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

6– सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक योग्यता (हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट) सम्बन्धी अंक-पत्र/प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनका अभ्यर्थन/नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।

7– उक्त नियुक्ति आदेश मा0 उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या-(डी)475/2019 तथा विशेष अपील संख्या (डी) 278/2023 (नवीन SPLA संख्या-311(2023) में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से,

डा0 अम्बरीष कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी0–27 हिन्दी गजट–भाग 1–2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 04 अक्टूबर, 2025 ई० (आश्विन 12, 1947 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

NOTIFICATION

October 01, 2024

No. 1968/Admin. (Services)/2024–Sri S Anand, Judicial Magistrate, First Class, Chitrakoot to be Civil Judge (Junior Division), Mau (Chitrakoot) in the vacant court.

No. 1969/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government Notification No. 1981/Chha-Pu-9-24-167G/09-TC Nyay-2/1730675, dated 28.09.2024, Sri Anjani Kumar, Additional District & Sessions Judge, Ghaziabad is appointed/posted as Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Special Court, Anti-corruption, C.B.I., Court No. 3, Ghaziabad.

No. 1970/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government Notification No. 1981/Chha-Pu-9-24-167G/09-TC Nyay-2/1730675, dated 28.09.2024, Sri Anand Prakash Singh, Additional District & Sessions Judge,Ghaziabad is appointed/posted as Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Special Court, Anti-corruption, C.B.I., Court No. 1, Ghaziabad.

No. 1971/Admin. (Services)/2024–Sri Brajesh Kumar Patel, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Hamirpur to be Civil Judge (Junior Division), Maudaha (Hamirpur) in the vacant court.

October 05, 2024

No. 1972/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government O.M. No. 836/Do-4-2024, dated 04.10.2024, Sri Kamlesh Kumar Pathak, Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar is appointed/posted as Administrator General and Official Trustee, Government of U.P., Allahabad on deputation.

October 17, 2024

No. 1973/Admin. (Services)/2024–In exercise of the powers conferred under Clause 12-D- (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Sri Jai Prakash Yadav, District & Sessions Judge, Mahoba, till the new Principal Judge, Family Court, Mahoba assumes charge of the office.

No. 1974/Admin. (Services)/2024–In exercise of the powers conferred under Clause 12-D- (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Sri Anmol Pal, District & Sessions Judge, Mirzapur till the new Principal Judge, Family Court, Mirzapur assumes charge of the office.

No. 1975/Admin. (Services)/2024–In exercise of the powers conferred under Clause 12-D- (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Smt. Vandana Singh, Additional District & Sessions Judge, Ayodhya till the new District & Sessions Judge, Ayodhya assumes charge of the office.

October 22, 2024

No. 1976/Admin. (Services)/2024–Sri Shashank Gupta, Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Hamirpur to be Additional Chief Judicial Magistrate, Rath (Hamirpur) in the newly created court, created *vide* G.O. No. 2024/872/VII-Nyaya-2-2024-41G/2024, dated 19.09.2024.

October 24, 2024

No. 1977/Admin. (Services)/2024–Sushri Meghali Singh, Additional Civil Judge (Junior Division), Balrampur is appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Balrampur *vice* Sushri Renu Gautam.

No. 1978/Admin. (Services)/2024–Sushri Renu Gautam, Judicial Magistrate, First Class, Balrampur to be Additional Civil Judge (Junior Division), Balrampur.

No. 1979/Admin. (Services)/2024–Sri Siddhant Solanki, Additional Civil Judge (Junior Division), Balrampur to be Additional Civil Judge (Junior Division), Utraula, Balrampur.

No. 1980/Admin. (Services)/2024–Sri Virendra Pratap Singh, Additional Civil Judge (Junior Division), Barabanki to be Civil Judge (Junior Division), Haidergarh, Barabanki.

No. 1981/Admin. (Services)/2024–Sri Mohd Juned, Additional Civil Judge (Junior Division), Gorakhpur to be Additional Civil Judge (Junior Division), Bansgaon, Gorakhpur.

No. 1982/Admin. (Services)/2024–Sushri Nikita Singh, Additional Civil Judge (Junior Division), Jalaun at Orai to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Jalaun at Orai for trying cases of crime against women *vice* Sri Sudhanshu Singh.

No. 1983/Admin. (Services)/2024–Sri Sudhanshu Singh, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court) Jalaun at Orai to be Additional Civil Judge (Junior Division), Kalpi; Jalaun at Orai.

No. 1984/Admin. (Services)/2024–Sri Sunandan Goyal, Additional Civil Judge (Junior Division), Kushinagar at Padrauna to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Kushinagar at Padrauna for trying cases of crime against women *vice* Sushri Jyotsna Nagvanshi.

No. 1985/Admin. (Services)/2024–Sushri Jyotsna Nagvanshi, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Kushinagar at Padrauna to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Kushinagar at Padrauna against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission *vice* Sri Sarvesh Kumar Pandey.

No. 1986/Admin. (Services)/2024–Sri Sarvesh Kumar Pandey, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Kushinagar at Padrauna to be Additional Civil Judge (Junior Division), Kasia, Kushinagar at Padrauna.

No. 1987/Admin. (Services)/2024–Sri Ankit Kumar, Additional Civil Judge (Junior Division), Maharajganj to be Additional Civil Judge (Junior Division), Pharenda, Maharajganj.

No. 1988/Admin. (Services)/2024–Sri Kushagra Mishra, Additional Civil Judge (Junior Division), Etawah to be Additional Civil Judge (Junior Division), Bidhuna, Auraiya.

October 26, 2024

No. 1989/Admin. (Services)/2024–Sri Yogesh Dubey, Joint Registrar (Judicial), High Court of Judicature at Allahabad to be Joint Registrar (Judicial) (Selection & Appointment), High Court of Judicature at Allahabad.

November 08, 2024

No. 1990/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government O.M No./2024/1023/VII-Nyay-2-2024-216G/2007 T.C.-II dated 07.11.2024, Sri Kamal Kant Tiwari, Additional Civil Judge (Junior Division), Barabanki is appointed/posted as Nyayadhikari, Gram Nyayalaya at tehsil Sirauli Gauspur district Barabanki.

No. 1991/Admin. (Services)/2024–Sushri Shelly Sharan, Additional Civil Judge (Junior Division), Hamirpur to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Hamirpur, against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission.

No. 1992/Admin. (Services)/2024–Sushri Kirti Mishra, Additional Civil Judge (Junior Division), Hamirpur to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Hamirpur for trying cases of crime against women *vice* Sri Prakhar Tiwari.

No. 1993/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government O.M No./2024/1023/VII-Nyay-2-2024-216G/2007 T.C.-II dated 07.11.2024, Sri Prakhar Tiwari, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Hamirpur is appointed/posted as Nyayadhikari, Gram Nyayalaya at tehsil Sarila District Hamirpur.

No. 1994/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government O.M_ No./2024/1023/VII-Nyay-2-2024-216G/2007 T.C. II dated 07.11.2024, Sri Vinay Kumar Chahar, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Jalaun at Orai is appointed/posted as Nyayadhikari, Gram Nyayalaya at tehsil Madhogarh District Jalaun at Orai.

No. 1995/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government O.M. No./2024/1023/VII-Nyay-2-2024-216G/2007 T.C.-II dated 07.11.2024, Sri Aman Deep, Additional Civil Judge (Junior Division), Maharajganj is appointed/posted as Nyayadhikari, Gram Nyayalaya at tehsil Nichlaul District Maharajganj.

No. 1996/Admin. (Services)/2024–Sri Pushpendra Kumar Gautam, Additional Civil Judge (Junior Division), Ramabai Nagar/Kanpur Dehat to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Ramabai Nagar/Kanpur Dehat for trying cases of crime against women *vice* Sushri Anjali.

No. 1997/Admin. (Services)/2024–Sushri Anjali, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Ramabai Nagar/Kanpur Dehat to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Ramabai Nagar/Kanpur Dehat against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission *vice* Sri Vikas Kumar.

No. 1998/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government O.M No./2024/1023/VII-Nyay-2-2024-216G/2007 T.C.-II dated 07.11.2024, Sri Vikas Kumar, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Ramabai Nagar/Kanpur Dehat is appointed/posted as Nyayadhikari, Gram Nyayalaya

at tehsil Bilhaur District Ramabai Nagar/Kanpur Dehat.

No. 1999/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government O.M No./2024/1023/VII-Nyay-2-2024-216G/2007 T.C.-II dated 07.11.2024, Sri Amar Singh, Additional Civil Judge (Junior Division), Balrampur is appointed/posted as Nyayadhikari, Gram Nyayalaya at tehsil Ekauna District Shravasti at Bhinga.

No. 2000/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government O.M No./2024/1023/VII-Nyay-2-2024-216G/2007 T.C.-II dated 07.11.2024, Sri Prateek Gupta, Additional Civil Judge (Junior Division), Unnao is appointed/posted as Nyayadhikari, Gram Nyayalaya at tehsil Hasanganj District Unnao.

No. 2001/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government O.M No./2024/1023/VII-Nyay-2-2024-216G/2007 T.C.-II dated 07.11.2024, Sri Lalit Singh, Additional Civil Judge (Junior Division), Gonda is appointed/posted as Nyayadhikari, Gram Nyayalaya at tehsil Fatehpur District Barabanki.

No. 2002/Admin. (Services)/2024–Smt. Babita Rani, District & Sessions Judge, Saharanpur to be District & Sessions Judge, Shahjahanpur.

No. 2003/Admin. (Services)/2024–Sri Bhanu Deo Sharma, District & Sessions Judge, Shahjahanpur to be District & Sessions Judge, Moradabad.

No. 2004/Admin. (Services)/2024–Sri Tarun Saxena, District & Sessions Judge, Raebareli to be District & Sessions Judge, Saharanpur.

No. 2005/Admin. (Services)/2024–Sir Sudhir Kumar-V, District & Sessions Judge, Mainpuri to be District & Sessions Judge, Bareilly.

No. 2006/Admin. (Services)/2024–Sri Rananjay Kumar Verma, District & Sessions Judge, Fatehpur to be District & Sessions Judge, Ayodhya.

No. 2007/Admin. (Services)/2024–Sri Rameshwar, District & Sessions Judge, Mau to be District & Sessions Judge, Kasganj.

No. 2008/Admin. (Services)/2024–Sri Pankaj Kumar Agrawal, District & Sessions Judge, Budaun to be District. & Sessions Judge, Mainpuri.

No. 2009/Admin. (Services)/2024–Sri Manoj Kumar-III, District & Sessions Judge, Sitapur to be District & Sessions Judge, Budaun.

No. 2010/Admin. (Services)/2024–Sri Sanjeev Shukla, District & Sessions Judge, Azamgarh to be District & Sessions Judge, Hardoi.

No. 2011/Admin. (Services)/2024–Sri Jai Prakash Pandey, District & Sessions Judge, Sultanpur to be District & Sessions Judge, Azamgarh.

No. 2012/Admin. (Services)/2024–Sri Syed Maooz Bin Asim, District & Sessions Judge, Kasganj to be District & Sessions Judge, Lakhimpur Kheri.

No. 2013/Admin. (Services)/2024–Dr. Ajay Kumar-II, District & Sessions Judge, Moradabad to be District & Sessions Judge, Muzaffarnagar.

No. 2014/Admin. (Services)/2024–Sri Vinai Kumar Dwivedi, District & Sessions Judge, Muzaffarnagar to be District & Sessions Judge, Basti.

No. 2015/Admin. (Services)/2024–Sri Anmol Pal, District & Sessions Judge, Mirzapur to be District & Sessions Judge, Fatehpur.

No. 2016/Admin. (Services)/2024–Sri Sunil Kumar-IV, District & Sessions Judge, Chandauli to be District & Sessions Judge, Mau.

No. 2017/Admin. (Services)/2024–Sri Raj Kumar Singh, District & Sessions Judge, Hardoi to be District & Sessions Judge, Raebareli.

No. 2018/Admin. (Services)/2024–Sri Lakshmi Kant Shukla, District & Sessions Judge, Lakhimpur Kheri to be District & Sessions Judge, Sultanpur.

No. 2019/Admin. (Services)/2024–Sri Kuldeep Saxena, District & Sessions Judge, Basti to be District & Sessions Judge, Sitapur

No. 2020/Admin. (Services)/2024–Sri Ravindra Nath Dubey, Presiding Officer, Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority, Prayagraj to be Presiding Officer, Commercial Court No. 1, Gautam Buddha Nagar.

No. 2021/Admin. (Services)/2024–Sri Kunal Vepa, Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Gautam Buddha Nagar to be Presiding Officer, Commercial Court No. 2, Gautam Buddha Nagar.

No. 2022/Admin. (Services)/2024–Sri Arvind Kumar Mishra-II, Chairman, State Transport Appellate Tribunal U.P., Lucknow to be District & Sessions Judge, Mirzapur.

No. 2023/Admin. (Services)/2024–Sri Ravindra Singh, Presiding Officer, Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority, Moradabad to be District & Sessions Judge, Chandauli.

No. 2024/Admin. (Services)/2024–Sri Dinesh Kumar-II, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Kushinagar at Padrauna to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Kushinagar at Padrauna in the exclusive Court for trying cases covered under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012 *vice* Smt. Jyotsna Singh-I.

No. 2025/Admin. (Services)/2024–Smt. Jyotsna Singh-I, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Kushinagar at Padrauna to be Additional District & Sessions Judge, Agra.

By Order of the Hon'ble Court,

RAJEEV BHARTI,

Registrar General.

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ

(अधिष्ठान-अनुभाग-8)

22 अगस्त, 2024 ई0

कार्यालय-ज्ञाप

संख्या-714/अधि-8/राजपत्रित-शासनादेश सं0-वे0आ0-2-796/दस-62 (एम)/2008 टी0सी0, (वेतन आयोग) अनुभाग-2 दिनांक 31 मई, 2011 के अनुपालन में निम्न अवर अभियन्ता (सिविल) जिन्हें 16 वर्षों की सेवा पूर्ण करने पर द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में ग्रेड पे-5,400/– अनुमन्य किया जा चुका है, को एतद्दवारा राजपत्रित प्रास्थिति प्रदान की जाती है। राजपत्रित प्रास्थिति के फल स्वरूप वेतन में कोई वृद्धि नहीं होगी।

क्र0 सं0	अवर अभियन्ता का नाम (सर्वश्री / श्रीमती / कु0)	जन्म तिथि	वरिष्ठता क्रमांक	विभाग में नियुक्ति की तिथि	द्वितीय ए0सी0पी0 स्वीकृत की तिथि	द्वितीय ए0सी0पी0 ग्रेड पे–5,400 / – की स्वीकृति आदेश
1	2	3	4	5	6	7
1	राम बली	25.08.1970	6349	20.06.2006	20.06.2022	7527 / सोन 20.10.2022
2	अनिल कुमार सिंह	30.05.1969	6289	20.06.2006	20.06.2022	7527 / सोन 20.10.2022
3	अनिल कुमार	14.07.1973	6235	29.06.2006	29.06.2022	7527 / सोन 20.10.2022
4	दिनेश कुमार मौर्य	15.04.1969	6170	20.06.2006	20.06.2006	7527 / सोन 20.10.2022
5	भैया लाल सिंह	01.03.1975	6372	08.09.2006	08.09.2022	7527 / सोन 20.10.2022
6	गुलाब सिंह राजपूत	01.10.1979	6396	22.06.2006	22.06.2006	8943 / सोन 23.11.2022
7	प्रदीप कुमार सिंह	18.01.1973	6176	04.08.2006	04.08.2022	8943 / सोन 23.11.2022
8	रियाजुद्दीन शाह	05.07.1976	6276	25.07.2006	25.07.2022	8943 / सोन 23.11.2022
9	अजय कुमार	28.08.1974	6307	22.11.2006	22.11.2022	10173 / सोन 03.01.2023
10	आशीष कुमार सिंह	01.04.1980	6387	17.07.2006	17.07.2022	10173 / सोन 03.01.2023
11	इन्द्र बहादुर सिंह यादव	0706.1975	6370	26.09.2006	26.09.2022	10173 / सोन 03.01.2023
12	प्रवीण कुमार राय	25.04.1973	6261	14.08.2006	14.08.1922	10173 / सोन 03.01.2023
13	मनोज कुमार श्रीवास्तव	01.02.1978	6161	11.08.2006	11.08.2022	10173 / सोन 03.01.2023
14	शशि भूषण श्रीवास्तव	22.12.1970	6165	06.07.2006	06.07.2022	653 / सोन 03.02.2023
15	परमेश्वर प्रसाद गुप्ता	12.12.1972	6357	01.07.2006	01.07.2022	653 / सोन 03.02.2023
16	शशिकान्त सिंह यादव	20.04.1969	6141	07.07.2006	07.07.2022	653 / सोन 03.02.2023
17	अभिषेक कुमार मिश्रा	18.03.1981	6178	16.09.2006	16.09.2022	653 / सोन 03.02.2023
18	संजय कुमार चौधरी	28.04.1967	8420	11.08.2006	11.08.2022	653 / सोन 03.02.2023
19	नवीन कुमार	22.05.1977	6232	11.08.2006	11.08.2022	653 / सोन 03.02.2023
20	रमेश कुमार	02.01.1975	6315	22.07.2006	22.07.2022	1443 / सोन 24.03.2023
21	रघुनन्दन कुमार	01.07.1972	6500	02.08.2006	02.08.2022	1443 / सोन 24.03.2023
22	ब्रजेश कुमार वशिष्ठ	10.02.1971	6204	24.07.2006	24.07.2022	9515 / मु0अ0गंगा 03.09.2022

1	2	3	4	5	6	7
23	मुकुल कुमार त्यागी	05.03.1970	6267	12.07.2006	12.07.2022	10072 / मु0अ0गंगा 03.09.2022
24	शशी कुमार	15.10.1972	6296	03.07.2006	03.07.2022	11054 / मु0अ0गंगा 14.10.2022
25	सरोज कुमार	12.01.1973	6354	14.08.2006	14.08.2022	11053 / मु0अ0गंगा 14.10.2022
26	राजेश कुमार शर्मा	12.01.1972	6144	14.08.2006	14.08.2022	11249 / मु0अ0गंगा 14.10.2022
27	अरूणा गौतम	06.01.1968	6526	29.07.2006	29.07.2022	11250 / मु0अ0गंगा 14.10.2022
28	शारिक हुसैन	01.07.1968	6527 सी	04.07.2006	04.07.2022	12286 / मु0अ0गंगा 16.11.2022
29	सुनील कुमार	20.03.1967	6194	04.08.2006	04.08.2022	13591 / मु0अ0गंगा 11.01.2023
30	विजय किशोर	15.03.1968	6441	15.07.2006	15.07.2022	542 / मु0अ0गंगा 04.02.2023
31	महेन्द्र कुमार	10.07.1976	6358	30.06.2006	30.06.2022	775 / मु0अ0 रामगंगा 27.01.2023
32	राजेश चन्द्र जैसवारा	12.07.1978	6510	03.07.2006	03.07.2022	775 / मु0अ0 रामगंगा 27.01.2023
33	राजीव कुमार पाल	17.10.1976	6345	03.07.2006	03.07.2022	776 / मु0अ0 रामगंगा 27.01.2023
34	आर्य कुमार गुप्ता	11.05.1975	6482	12.07.2006	12.07.2022	7295 / मु0अ0 रामगंगा 14.12.2022
35	बीरेन्द्र कुमार (नेशनल राजपत्रित, से0नि0 के पश्चात)	10.12.1963	6484	11.08.2006	11.08.2022	7294 / मु0अ0 रामगंगा 14.12.2022

1	2	3	4	5	6	7
36	रूपेश कुमार	08.01.1969	6383	21.07.2007	21.07.2022	4471 / मु0अ0 रामगंगा 08.09.2022
37	राम मूरत	01.05.1979	6464	14.07.2006	14.07.2022	9795 / मु0अ0 बेतवा 16.12.2022
38	उमेश चन्द्र	02.07.1965	6527बी	24.06.2006	24.06.2022	1330 / शारदा सहायक अनु0 08.02.2023
39	अनुज कुमार	05.04.1973	6378	16.06.2006	16.06.2022	1330 / शारदा सहायक अनु0 08.02.2023
40	मनोज कुमार पाण्डेय	05.06.1976	6269	07.09.2006	07.09.2022	1330 / शारदा सहायक अनु0 08.02.2023
41	विकाश चन्द्र श्रीवास्तव	25.12.1970	6174	03.07.2006	03.07.2022	1330 / शारदा सहायक अनु0 08.02.2023
42	नितेन्द्र श्रीवास्तव	20.11.1978	6135	19.07.2006	19.07.2022	1330 / शारदा सहायक अनु0 08.02.2023
43	महेश चन्द्र चक	16.06.1978	6455	01.07.2006	01.07.2022	1330 / शारदा सहायक अनु0 08.02.2023
44	अनिल कुमार श्रीवास्तव	21.07.1972	6167	15.07.2006	15.07.2022	1330 / शारदा सहायक अनु0 08.02.2023
45	पंकज कुमार	10.01.1971	6325	01.07.2006	01.07.2022	1330 / शारदा सहायक अनु0 08.02.2023
46	संजय कुमार	15.01.1981	6472	24.07.2006	24.07.2022	1330 / शारदा सहायक अनु0 08.02.2023
47	राजेश कुमार	07.07.1968	6340	19.12.2006	19.12.2022	1330 / शारदा सहायक अनु0 08.02.2023
48	सुरेन्द्र बहादुर यादव	12.08.1974	6366	30.06.2006 (अ)	01.07.2022	1330 / शारदा सहायक अनु0 08.02.2023
49	रमेश चन्द्र	01.08.1971	6458	26.06.2006	26.06.2022	1330 / शारदा सहायक अनु0 08.02.2023
50	मुसाफिर	19.07.1965	6486	29.07.2006	29.07.2022	1330 / शारदा सहायक अनु0 08.02.2023

1	2	3	4	5	6	7
51	पवन कुमार	09.04.1979	6356	01.07.2006	01.07.2022	1330/शारदा सहायक अनु0 08.02.2023
52	सतीश चन्द्र	01.07.1975	6278	27.06.2006	27.06.2022	1330/शारदा सहायक अनु0 08.02.2023
53	विनय कुमार आर्य	19.07.1966	6456	14.08.2006	14.08.2022	1330/शारदा सहायक अनु0 08.02.2023
54	आदर्श बाबू	31.07.1970	6256	24.08.2006	24.08.2022	1330/शारदा सहायक अनु0 08.02.2023
55	अमित तिवारी	11.05.1975	6152	28.11.2006	28.11.2022	1330/शारदा सहायक अनु0 08.02.2023
56	चन्द्र दत्त	01.06.1970	6223	06.07.2006	06.07.2022	8611/शारदा सहायक अनु0 03.10.2022
57	पंकज कुमार शिवहरे	10.05.1967	6319	20.06.2006	20.06.2022	8611/शारदा सहायक अनु0 03.10.2022
58	सीमा वर्मा	02.05.1978	6337	30.06.2006 (अ)	01.07.2022	8611/शारदा सहायक अनु0 03.10.2022
59	बद्री विशाल	03.05.1976	6374	07.07.2006	07.07.2022	8611/शारदा सहायक अनु0 03.10.2022
60	योगेश कुमार	15.01.1979	6297	25.07.2006 (अ)	26.07.2022	8611/शारदा सहायक अनु0 03.10.2022
61	संजीव उपाध्याय	01.07.1971	6182	25.07.2006	25.07.2022	8611/शारदा सहायक अनु0 03.10.2022
62	राजेश कुमार पाण्डेय	01.01.1971	6163	18.08.2006	18.08.2022	8611/शारदा सहायक अनु0 03.10.2022
63	रज्जू प्रसाद	06.11.1976	6509	18.07.2006	18.07.2022	8611/शारदा सहायक अनु0 03.10.2022
64	संतोष कुमार	15.03.1977	6158	16.06.2006	16.06.2022	8611/शारदा सहायक अनु0 03.10.2022
65	अरूण कुमार सिंह	01.07.1969	6316	22.06.2006	22.06.2022	8611/शारदा सहायक अनु0 03.10.2022

1	2	3	4	5	6	7
66	राजेश्वर	23.03.1980	6323	26.07.2006	26.07.2022	8611 / शारदा सहायक अनु0 03.10.2022
67	हरिवंश	05.06.1977	6517	25.07.2006	26.07.2022	7194 / मु0अ0सरयू प्रथम 16.01.2023
68	खलीक अहमद	11.10.1975	6305	01.07.2006	01.07.2022	8587 / मु0अ0स0प्रथम 04.02.2023
69	राजाराम (नोशनल राजपत्रित से0नि0 के पश्चात)	05.03.1964	6389	22.06.2006	23.06.2022	8587 / मु0अ0स0प्रथम 04.02.2023
70	बृजेश कुमार	30.06.1967	6324	15.07.2006	16.07.2022	8587 / मु0अ0स0प्रथम 04.02.2023
71	सुशील चन्द्र	11.08.1968	6214	28.06.2006	28.06.2022	8198 / मु0अ0 यमुना 18.11.2022
72	जय प्रकाश	16.01.1981	6314	11.08.2006	11.08.2022	8198 / मु0अ0 य0 18.11.2022
73	चवल सिंह	01.05.1975	6225	29.06.2006	29.06.2022	8198 / मु0अ0 य0 18.11.2022
74	देवेश कुमार शर्मा	10.10.1976	6201	22.07.2006	22.07.2022	8198 / मु0अ0 य0 18.11.2022
75	दिनेश कुमार	28.03.1977	6382	12.07.2006	12.07.2022	8198 / मु0अ0 य0 18.11.2022
76	कमला शंकर	10.07.1975	6447	12.07.2006	12.07.2022	8198 / मु0अ0 य0 18.11.2022
77	अनिल कुमार सिंह	15.09.1969	6173	18.08.2006	18.08.2022	8198 / मु0अ0 य0 18.11.2022
78	पवन कुमार	07.06.1971	6347	24.06.2006	24.06.2022	8198 / मु0अ0 य0 18.11.2022

1	2	3	4	5	6	7
79	राम कुमार	28.10.1981	6490	01.08.2006	01.08.2022	8445 / मु0अ0 यमुना 25.11.2022
80	विकेश कुमार शर्मा	04.05.1971	6162	01.09.2006	01.09.2022	9377 / मु0अ0 यमुना 31.12.2022
81	अतुल कुमार शर्मा	20.11.1976	6199	04.07.2006	04.07.2022	174 / मु0अ0य0 12.01.2023
82	समीर कटियार	07.05.1970	6181	16.10.2006	16.10.2022	174 / मु0अ0य0 12.01.2023
83	ऊधम सिंह	15.01.1977	6423	22.07.2006	22.07.2022	376 / मु0अ0य0 24.01.2023
84	गीता चौहान	22.07.1973	6522	31.07.2006	31.07.2022	1431 / मु0अ0य0 28.02.2023
85	जोगेन्द्र सिंह	28.01.1976	6515	01.07.2006	01.07.2022	नि0–420 / मु0अ0य0 23.03.2023
86	विजय कुमार	15.07.1974	6391	10.07.2006	10.07.2022	2158 / जल संसाधन अ0 17.08.2022
87	राम प्रकाश राय	13.01.1966	6184	30.06.2006	30.06.2022	2158 / जल संसाधन अ0 17.08.2022
88	सादिक हुसैन	05.01.1978	6411	22.06.2006	22.06.2022	2158 / जल संसाधन अ0 17.08.2022
89	प्रेम प्रकाश	30.06.1969	6322	04.07.2006	04.07.2022	2277 / जल संसाधन 13.10.2022
90	धर्मेन्द्र कुमार	04.05.1979	6166	05.08.2006	05.08.2022	2277 / जल संसाधन 13.10.2022

1	2	3	4	5	6	7
91	महेश नारायण	15.08.1977	6377	25.07.2006	25.07.2022	1668 / मु0अ0बाण सागर 03.04.2023
92	सुरेश सिंह	02.08.1981	6405	16.09.2006	16.09.2022	1668 / मु0अ0बाण सागर 03.04.2023
93	राकेश कुमार	08.03.1979	6274	15.07.2006	15.07.2022	10892 / मु0अ0मध्यगंगा परियोजना 03.11.2022
94	मंयक कुमार त्यागी	07.07.1977	6212	28.06.2006	28.06.2022	11233 / मु0अ0मध्यगंगा परियोजना 03.11.2022
95	भीष्म पाल सिंह	08.06.1969	6442	14.09.2006	14.09.2022	12349 / मु0अ0मध्यगंगा परियोजना 20.12.2022
96	अनिल कुमार	07.07.1977	6476	07.09.2006	07.09.2022	12489 / मु0अ0मध्यगंगा परियोजना 20.12.2022
97	सचिन कुमार जैन	18.02.1981	6192	26.07.2006	26.07.2022	12489 / मु0अ0मध्यगंगा परियोजना 20.12.2022
98	अब्दुल मतीन खाँ	12.01.1975	6136	04.08.2006	04.08.2022	12490 / मु0अ0मध्यगंगा परियोजना 20.12.2022
99	मनोज कुमार त्रिवेदी	17.06.1969	6195	01.07.2006	01.07.2022	12490 / मु0अ0मध्यगंगा परियोजना 20.12.2022
100	यशवीर सिंह	15.07.1967	6438	22.07.2006	22.07.2022	1417 / मु0अ0मध्यगंगा परियोजना 17.02.2023
101	अरविन्द कुमार सिंह	26.03.1973	6189	07.08.2006	07.08.2022	1078 / मु0अ0मध्यगंगा परियोजना 17.02.2023
102	संदीप कुमार बंसल	20.09.1970	6154	07.07.2006	07.07.2022	1999 / मु0अ0मध्यगंगा परियोजना 18.03.2023

उक्त आदेशों से पारस्परिक वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी।

संदीप कुमार,
प्रमुख अभियन्ता (परियोजना)

झाँसी के जिलाधिकारी की आज्ञायें

03 सितम्बर, 2024 ई0

सं0 489/12ए-डी0एल0आर0सी0-पुर्नग्रहण/2024-25—बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण झाँसी एवं राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा पूर्व में प्रख्यापित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20 (5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 में आंशिक संशोधन करते हुए, जारी शासकीय कार्यालय-ज्ञाप (संशोधन) उ0प्र0 शासन राजस्व अनुभाग-1 शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 एवं आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश अनुभाग-5 के पत्र संख्या 5303/5-264ए/2019, दिनांक 07 जनवरी, 2020 से प्राप्त मार्गदर्शन के अनुसार, तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा-59 की उपधारा-2 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम-मठ तहसील झाँसी के प्रबंध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्रम सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	मठ	287/459	1.012 हेक्टेयर	श्रेणी-6(4) मिट्टी खोदने का कुम्हार गढ़ा	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क)

जनपद झाँसी में बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी विकसित करने हेतु अधिसूचना संख्या 5595/77-4-23-1372/23 दिनांक 14 सितम्बर, 2023 द्वारा गठन किया गया है। के दृष्टिगत उपरोक्त बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी की स्थापना हेतु सरकारी भूमि ग्राम मठ, तहसील झाँसी में उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप (संशोधन संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनाँक 17 जुलाई, 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार आवंटन कार्यवाही की गयी है।

सं0 490/12ए-डी0एल0आर0सी0-पुर्नग्रहण/2024-25—बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण झाँसी एवं राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा पूर्व में प्रख्यापित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20 (5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 में आंशिक संशोधन करते हुए, जारी शासकीय कार्यालय-ज्ञाप (संशोधन) उ0प्र0 शासन राजस्व अनुभाग-1 शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 एवं आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश अनुभाग-5 के पत्र संख्या 5303/5-264ए/2019, दिनांक 07 जनवरी, 2020 से प्राप्त मार्गदर्शन के अनुसार, तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा-59 की उपधारा-2 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी

निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम-मठ तहसील झाँसी के प्रबंध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्रम सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	मठ	287/461	0.728 हेक्टेयर	श्रेणी-6(4) उवेर	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क)

जनपद झाँसी में बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी विकसित करने हेतु अधिसूचना संख्या 5595/77-4-23-1372/23 दिनांक 14 सितम्बर, 2023 द्वारा गठन किया गया है। के दृष्टिगत उपरोक्त बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी की स्थापना हेतु सरकारी भूमि ग्राम मठ, तहसील झाँसी में उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप (संशोधन संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनाँक 17 जुलाई, 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार आवंटन कार्यवाही की गयी है।

सं0 491/12ए-डी0एल0आर0सी0-पुर्नग्रहण/2024-25—बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण झाँसी एवं राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा पूर्व में प्रख्यापित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20 (5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 में आंशिक संशोधन करते हुए, जारी शासकीय कार्यालय-ज्ञाप (संशोधन) उ0प्र0 शासन राजस्व अनुभाग-1 शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 एवं आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश अनुभाग-5 के पत्र संख्या 5303/5-264ए/2019, दिनांक 07 जनवरी, 2020 से प्राप्त मार्गदर्शन के अनुसार, तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा-59 की उपधारा-2 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम-मठ तहसील झाँसी के प्रबंध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्रम सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	मठ	287/460	0.299 हेक्टेयर	श्रेणी-6(4) पड़ाव	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क)

जनपद झाँसी में बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी विकसित करने हेतु अधिसूचना संख्या 5595/77-4-23-1372/23 दिनांक 14 सितम्बर, 2023 द्वारा गठन किया गया है। के दृष्टिगत उपरोक्त बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी की स्थापना हेतु सरकारी भूमि ग्राम मठ, तहसील झाँसी में उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप (संशोधन संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनाँक 17 जुलाई, 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार आवंटन कार्यवाही की गयी है।

05 सितम्बर, 2024 ई0

सं0 499/12ए-डी0एल0आर0सी0-पुर्नग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 राजस्व अनुभाग-1, दिनॉक 06 जुलाई, 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ के पत्र संख्या-ई-264/एक-1-2021 दिनांक 29 जून, 2021 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित मौजा रूंद्रकरारी, तहसील व जिला-झाँसी में स्थित भूमि को झाँसी विकास प्राधिकरण झाँसी के पक्ष में करते हुए उसके निवर्तन पर प्रस्तावित भूमि का लोक उपयोगिता हेतु निम्न प्रकार श्रेणी परिवर्तन करता हूँ—

क्र0 सं0	जिला	तहसील व परगना	गांव	गांवसभा/स्था0निकाय की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।			गांवसभा/स्थानीय निकाय की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।		
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	झाँसी	झाँसी	रूंद्रकरारी	54	0.202 हेक्टेयर	श्रेणी-6(4) ऊसर के स्थान पर श्रेणी-5(3)ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर	128 रौनीजा	0.660 में से 0.290 हेक्टेयर	श्रेणी-5(3)ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर के स्थान पर श्रेणी-6(4) ऊसर

सं0 500/12ए-डी0एल0आर0सी0-पुर्नग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 राजस्व अनुभाग-1, दिनॉक 06 जुलाई, 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ के पत्र संख्या-ई-264/एक-1-2021 दिनांक 29 जून, 2021 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित मौजा रूंद्रकरारी, तहसील व जिला-झाँसी में स्थित भूमि को झाँसी विकास प्राधिकरण झाँसी के पक्ष में करते हुए उसके निवर्तन पर प्रस्तावित भूमि का लोक उपयोगिता हेतु निम्न प्रकार श्रेणी परिवर्तन करता हूँ—

क्र0 सं0	जिला	तहसील व परगना	गांव	गांवसभा / स्था0निकाय की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।			गांवसभा / स्थानीय निकाय की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।		
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					हेक्टेयर			हेक्टेयर	
1	झाँसी	झाँसी	रूंद्रकरारी	33	0.777	श्रेणी-5(3)ग चारागाह के स्थान पर श्रेणी-5(3)ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर	रौनीजा 128	0.660 में से 0.370	श्रेणी-5(3)ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर के स्थान पर श्रेणी-5(3)ग चारागाह
				63	0.450		198	0.717	
							297	0.669	
				योग. .	**1.127**		**योग. .**	**1.756**	

सं0 501 / 12ए-डी0एल0आर0सी0-श्रेणी परिवर्तन / 2024-25—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-687 / एक-1-2020-20(5) / 2016 राजस्व अनुभाग-1, दिनॉक 06 जुलाई, 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ के पत्र संख्या-ई-264 / एक-1-2021 दिनांक 29 जून, 2021 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित मौजा रूंद्रकरारी, तहसील व जिला-झाँसी में स्थित भूमि को झाँसी विकास प्राधिकरण झाँसी के पक्ष में करते हुए उसके निवर्तन पर प्रस्तावित भूमि का लोक उपयोगिता हेतु निम्न प्रकार श्रेणी परिवर्तन करता हूँ—

क्र0 सं0	जिला	तहसील व परगना	गांव	गांवसभा / स्था0निकाय की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।			गांवसभा / स्थानीय निकाय की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।		
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	झाँसी	झाँसी	रूंद्रकरारी	65	0.846 हेक्टेयर	श्रेणी-6(2) खलिहान के स्थान पर श्रेणी-5(3)ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर	690 रौनीजा	1.934 हेक्टेयर	श्रेणी-5(3)ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर के स्थान पर श्रेणी-6(2) खलिहान

07 सितम्बर, 2024 ई0

सं0 504 / 12ए-डी0एल0आर0सी0-पुर्नग्रहण / 2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-687 / एक-1-2020-20(5) / 2016 राजस्व अनुभाग-1, दिनॉक 06 जुलाई, 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ के पत्र संख्या-ई-264 / एक-1-2021 दिनांक 29 जून, 2021 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित मौजा सिमरा, तहसील व जिला-झाँसी में स्थित भूमि को बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास

प्राधिकरण (बीड़ा) पक्ष में करते हुए उसके निवर्तन पर प्रस्तावित भूमि का लोक उपयोगिता हेतु निम्न प्रकार श्रेणी परिवर्तन करता हूँ–

क्र0 सं0	जिला	तहसील व परगना	गांव	गांवसभा/स्था0निकाय की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।			गांवसभा/स्थानीय निकाय की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।		
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					हेक्टेयर			हेक्टेयर	
1	झाँसी	झाँसी	सिमरा	5	0.041	श्रेणी-6(2) चकमार्ग के स्थान पर श्रेणी-5(3)ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर	1960	0.724	श्रेणी-5(3)ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर के स्थान पर श्रेणी-6(2) चकमार्ग
				9	0.069		1981	0.308	
				101	0.008		1984	0.259	
				112	0.012		1986	0.020	
				117	0.028		2005मि0	0.970	
				122	0.049		2104मि0	0.190	
				124	0.073				
				127	0.016				
				135	0.028				
				143	0.024				
				153	0.012				
				166	0.036				
				199	0.049				
				211	0.016				
				213	0.162				
				217	0.057				
				220	0.032				
				223	0.077				
				228	0.012				
				238	0.049				
				250	0.061				
				259	0.142				
				264	0.036				
				277	0.073				
				279	0.202				
				286	0.138				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					हेक्टेयर			हेक्टेयर	
	झाँसी	झाँसी	सिमरा	631	0.020	श्रेणी-6(2) चकमार्ग के स्थान पर श्रेणी-5(3)ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर			श्रेणी-5(3)ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर के स्थान पर श्रेणी-6(2) चकमार्ग
				634	0.036				
				637	0.036				
				639	0.061				
				647	0.008				
				825	0.045				
				826	0.065				
				828	0.012				
				835	0.174				
				838	0.089				
				848	0.024				
				969	0.065				
				1043	0.032				
				1304	0.016				
				1501	0.028				
				1510	0.008				
				1556	0.028				
				1573	0.085				
				1584	0.024				
				1586	0.045				
				योग. .	**2.403**		**योग. .**	**2.471**	

11 सितम्बर, 2024 ई0

सं0 516/12ए-डी0एल0आर0सी0-श्रेणी परिवर्तन/2024-25—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 राजस्व अनुभाग-1, दिनांक 06 जुलाई, 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ के पत्र संख्या-ई-264/एक-1-2021 दिनांक 29 जून, 2021 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित मौजा गुढ़ा, तहसील व जिला-झाँसी में स्थित भूमि को बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झांसी के पक्ष में करते हुए उसके निवर्तन पर प्रस्तावित भूमि का लोक उपयोगिता हेतु निम्न प्रकार श्रेणी परिवर्तन करता हूँ—

क्र0 सं0	जिला	तहसील व परगना	गांव	गांवसभा/स्था0निकाय की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।			गांवसभा/स्थानीय निकाय की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।		
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी	गाटा संख्या/ग्राम	क्षेत्रफल	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					हेक्टेयर			हेक्टेयर	
1	झाँसी	झाँसी	गुढ़ा	187 219/3 223	0.296 0.053 0.186	श्रेणी-6(2) रास्ता के स्थान पर श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	322	0.562 में से 0.535	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर के स्थान पर श्रेणी-6(2) रास्ता
				योग. .	**0.535**		**योग. .**	**0.535**	

सं0 517/12ए-डी0एल0आर0सी0-श्रेणी परिवर्तन/2024-25—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 राजस्व अनुभाग-1, दिनांक 06 जुलाई, 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ के पत्र संख्या-ई-264/एक-1-2021 दिनांक 29 जून, 2021 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित मौजा डोंगरी तहसील व जिला-झाँसी में स्थित भूमि को बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी के पक्ष में करते हुए उसके निवर्तन पर प्रस्तावित भूमि का लोक उपयोगिता हेतु निम्न प्रकार श्रेणी परिवर्तन करता हूँ—

क्र0 सं0	जिला	तहसील व परगना	गांव	गांवसभा/स्था0निकाय की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।			गांवसभा/स्थानीय निकाय की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।		
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी	गाटा संख्या/ग्राम	क्षेत्रफल	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					हेक्टेयर			हेक्टेयर	
1	झाँसी	झाँसी	डोंगरी	31 32ख 342	0.121 0.057 0.137	श्रेणी-6(2) रास्ता के स्थान पर श्रेणी-5(3)ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर	439	0.692 में से 0.316	श्रेणी-5(3)ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर के स्थान पर श्रेणी-6(2) रास्ता
				योग. .	**0.315**		**योग. .**	**0.316**	

सं0 518/12ए-डी0एल0आर0सी0-श्रेणी परिवर्तन/2024-25—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 राजस्व अनुभाग-1, दिनांक 06 जुलाई, 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ के पत्र संख्या-ई-264/एक-1-2021 दिनांक 29 जून, 2021 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित मौजा डोंगरी तहसील व जिला-झाँसी में स्थित भूमि को बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी के पक्ष में करते हुए उसके निवर्तन पर प्रस्तावित भूमि का लोक उपयोगिता हेतु निम्न प्रकार श्रेणी परिवर्तन करता हूँ—

क्र0 सं0	जिला	तहसील व परगना	गांव	गांवसभा/स्था0निकाय की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।			गांवसभा/स्थानीय निकाय की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।		
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी	गाटा संख्या/ग्राम	क्षेत्रफल	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					हेक्टेयर			हेक्टेयर	
1	झाँसी	झाँसी	डोंगरी	62	0.249	श्रेणी-6(2) खलिहान के स्थान पर श्रेणी-5(3)ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर	367	0.283	श्रेणी-5(3)ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर के स्थान पर श्रेणी-6(2) खलिहान
				215	0.517		417	0.255 में से 0.205	
				357	0.368		436	0.105	
							437क	0.053 में से 0.044	
							439	0.692 में से 0.376	
						श्रेणी-6(2) खलिहान के स्थान पर श्रेणी-5(1) नवीन परती	436ख	0.121	श्रेणी-5(1) नवीन परती के स्थान पर श्रेणी-6(2) खलिहान
				योग. .	**1.134**		**योग. .**	**1.134**	

सं0 519/12ए-डी0एल0आर0सी0-श्रेणी परिवर्तन/2024-25—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 राजस्व अनुभाग-1, दिनांक 06 जुलाई, 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ के पत्र संख्या-ई-264/एक-1-2021 दिनांक 29 जून, 2021 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित मौजा डोंगरी तहसील व जिला-झाँसी में स्थित भूमि को बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी के पक्ष में करते हुए उसके निवर्तन पर प्रस्तावित भूमि का लोक उपयोगिता हेतु निम्न प्रकार श्रेणी परिवर्तन करता हूँ—

क्र0 सं0	जिला	तहसील व परगना	गांव	गांवसभा/स्था0निकाय की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।			गांवसभा/स्थानीय निकाय की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।		
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी	गाटा संख्या/ग्राम	क्षेत्रफल	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	झाँसी	झाँसी	डोंगरी	731	0.032 हेक्टेयर	श्रेणी-6(2) गढ़ा के स्थान पर श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	400 झ	0.037 में से 0.032 हेक्टेयर	श्रेणी-5(3)ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर के स्थान पर श्रेणी-6(2) गढ़ा

17 सितम्बर, 2024 ई0

सं0 527/12ए-डी0एल0आर0सी0-श्रेणी परिवर्तन/2024-25—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 राजस्व अनुभाग-1, दिनांक 06 जुलाई, 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ के पत्र संख्या-ई-264/एक-1-2021 दिनांक 29 जून, 2021 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित मौजा रूंद्रकरारी, तहसील व जिला-झाँसी में स्थित भूमि को झाँसी विकास प्राधिकरण झाँसी के पक्ष में करते हुए उसके निवर्तन पर प्रस्तावित भूमि का लोक उपयोगिता हेतु निम्न प्रकार श्रेणी परिवर्तन करता हूँ—

क्र0 सं0	जिला	तहसील व परगना	गांव	गांवसभा/स्था0निकाय की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।			गांवसभा/स्थानीय निकाय की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।		
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी	गाटा संख्या/ग्राम	क्षेत्रफल	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					हेक्टेयर			हेक्टेयर	
1	झाँसी	झाँसी	रूंद्रकरारी	465	1.006	श्रेणी-6(2) रास्ता के स्थान पर श्रेणी-5(3)ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर	373 464 रौनीजा	0.482 1.011	श्रेणी-5(3)ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर के स्थान पर श्रेणी-6(2) रास्ता
				योग. .	**1.006**		**योग. .**	**1.493**	

सं0 528/12ए-डी0एल0आर0सी0-श्रेणी परिवर्तन/2024-25—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 राजस्व अनुभाग-1, दिनांक 06 जुलाई, 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ के पत्र संख्या-ई-264/एक-1-2021 दिनांक 29 जून, 2021 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित मौजा रूंद्रकरारी, तहसील व जिला-झाँसी में स्थित भूमि को झाँसी विकास प्राधिकरण झाँसी के पक्ष में करते हुए उसके निवर्तन पर प्रस्तावित भूमि का लोक उपयोगिता हेतु निम्न प्रकार श्रेणी परिवर्तन करता हूँ—

क्र0सं0	जिला	तहसील व परगना	गांव	गांवसभा/स्था0निकाय की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।			गांवसभा/स्थानीय निकाय की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।		
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी	गाटा संख्या/ग्राम	क्षेत्रफल	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					हेक्टेयर			हेक्टेयर	
1	झाँसी	झाँसी	रूंद्रकरारी	421 437 52 96	0.204 0.176 0.541 0.470	श्रेणी-6(2) मुख्य मार्ग के स्थान पर श्रेणी-5(3)ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर	614 124 203 रौनीजा	0.847 0.607 1.260	श्रेणी-5(3)ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर के स्थान पर श्रेणी-6(2) मुख्य मार्ग

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					हेक्टेयर			हेक्टेयर	
	झाँसी	झाँसी	रूंद्रकरारी	97	0.221	श्रेणी-6(2) मुख्य मार्ग के स्थान पर श्रेणी-5(3)ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर			श्रेणी-5(3)ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर के स्थान पर श्रेणी-6(2) मुख्य मार्ग
				383	0.055				
				385	0.234				
				योग. .	**1.901**		**योग. .**	**2.714**	

23 अक्टूबर, 2024 ई0

सं0 612/12ए-डी0एल0आर0सी0/2024-25—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या-744/एक-4-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अविनाश कुमार जिलाधिकारी, झाँसी, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित मौजा-लारौनी, तहसील मऊरानीपुर, जिला-झाँसी के प्रबन्ध में निहित थी, अद्योहस्ताक्षरी द्वारा फिर से अपने अधिकार में लिया जाता है—

अनुसूची

क्रम सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	झाँसी	मऊरानीपुर	मऊरानीपुर	लारौनी	324	1.412 हेक्टेयर	श्रेणी 5-3ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि (झाडी)	निराश्रित गौवंश संरक्षण हेतु वृहद गौ संरक्षण केन्द्र (गौशाला) के निर्माण हेतु (पशुधन विभाग को) (निःशुल्क) **नोट**— यदि पाँच वर्ष के अन्दर गौशाला का निर्माण नहीं किया जाता है तो भूमि पुनः गांवसभा में स्वतः दर्ज हो जायेगी।

अविनाश कुमार,
जिलाधिकारी, झाँसी।

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्ति

कार्यालय, जिलाधिकारी, लखनऊ

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की अधिसूचना

24 सितम्बर, 2025, ई0

सं0 1203(VIII)/08–अ0जि0अ0(भू0अ0) शा0सहा0परि0 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) कलेक्टर लखनऊ की राय है, कि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा संचालित उत्तर रेलवे के दिलकुशा–मल्हौर रेल सेक्शन के किमी0 1084/15–17 पर स्थित सम्पार संख्या–186 पर स्पेशल पर 02 लेन उपरिगामी सेतु के निर्माण के लिए जनपद लखनऊ तहसील सदर परगना लखनऊ ग्राम भरवारा की 0.0041 हे0 की भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है, तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2025 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण का साराँश इस प्रकार हैः–

उत्तर रेलवे के दिलकुशा और मल्हौर के रेल सेक्शन किमी0 1084/15–17 पर स्थित सम्पार संख्या–186 पर दो लेन रेल उपरिगामी सेतु ग्राम भरवारा, तह0 सदर, जिला लखनऊ में सेतु निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि अर्जन/अधिग्रहण किया जाना जनहित मे है, और इस से लोकप्रयोजन की पूर्ति, सामाजिक लाभ व सामाजिक कल्याण के उद्देश्य की पूर्ति होती है।

भूमि के अधिग्रहण से होने वाला सम्भावित लाभ प्रतिकूल सामाजिक समाघात की तुलना से अधिक है।

4–भूमि अर्जन में विस्थापन की सम्भावना नही है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते है।

अनुसूची

क्र0सं0	जिला	तहसील	ग्राम का नाम	गाटा संख्या/प्लाट संख्या	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे0)
16	लखनऊ	सदर	भरवारा (विराज खण्ड साईड)	591 **(प्लाट नं0–2/150, 2/151,**	0.0041
				कुल योग	0.0041

6–अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर को प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते है।

7–अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति, जिसका हित भूमि में निहित हो, अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा-11 (4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नही कर सकता है।

टिप्पणी :–उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) शारदा सहायक परियोजना, कक्ष सं0–40, कलेक्ट्रेट, लखनऊ स्थित कार्यालय में देखा जा सकता है।

कमलेश कुमार गोयल,

कलेक्टर, लखनऊ,

भूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ।

कार्यालय, चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

16 अप्रैल, 2025, ई0

विज्ञप्ति

सं0 1859/जी0-174/2024-25/धारा-52 (1) उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम–1953 (उ०प्र० अधिनियम सं०–5–1954 ई०) की धारा–52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं०–1769/सी०एच०–1–91–58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं० 23/1/1–(5) 1991–टी०सी०आर०–1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1–क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना पूरनपुर जनपद पीलीभीत के ग्राम केसरपुर कला में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

भानु चन्द्र गोस्वामी,

चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0–27 हिन्दी गजट–भाग 1-क–2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 04 अक्टूबर, 2025 ई० (आश्विन 12, 1947 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत।

खण्ड-घ

जिला पंचायत बागपत

उपविधि

09 जनवरी, 2025 ई0

सं0 241/23-26/2022-24–उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथासंशोधित 1994) की धारा-239 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, बागपत के ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाली पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी आदि में पशुओं के लदान, ढुलान एवं पार्किंग आदि को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु पूर्व में प्रचलित उपविधि, जो शासकीय गजट में विज्ञप्ति संख्या-474/23-40/2006-08, दिनांक 05 फरवरी, 2008 द्वारा प्रकाशन के उपरान्त दिनांक 23 फरवरी, 2008 से प्रभावी एवं दिनांक 20 अप्रैल, 2013 से संशोधित है, के भाग-02 व भाग-04 में पुनः संशोधन हेतु जिला पंचायत, बागपत की बोर्ड बैठक दिनांक 25 मार्च, 2023 में पारित प्रस्ताव संख्या-11(5) के क्रम में अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बागपत के पत्र संख्या-251/जि0पं0 बागपत/पशुपैंठ/2024-25 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रस्तावित तथा मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बागपत द्वारा की गयी संस्तुति एवं जिलाधिकारी, बागपत के पत्र संख्या-1058/जि0पं0 बागपत/2024-25 दिनांक 08 नवम्बर, 2024 द्वारा किये गये अनुरोध के आधार पर उक्त अधिनियम की धारा-242 (2) के अन्तर्गत आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ द्वारा दिनांक 03 जनवरी, 2025 को अनुमोदन/पुष्टि प्रदान की गई है, यह संशोधन शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

जिला पंचायत, बागपत द्वारा जनपद बागपत के ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत अपनी निजी भूमि, संस्था/फर्म या सरकारी भूमि आदि पर लगने वाले पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु प्रस्तुत एवं मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बागपत द्वारा संस्तुत व जिलाधिकारी, बागपत द्वारा किये गये अनुरोध के आधार पर आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ द्वारा अनुमोदित उपविधि निम्नानुसार है–

उपविधि भाग-2

1– ग्रामीण क्षेत्र में अपनी निजी भूमि, संस्था/फर्म या सरकारी आदि भूमि पर पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी आयोजित करना चाहता है तो व्यक्ति/फर्म/संस्था को जिला पंचायत, बागपत से लाईसेंस प्राप्त करना होगा तथा पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी उपविधि का पालन करना अनिवार्य होगा।

2– अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बागपत इन उपविधियों के अन्तर्गत लाईसेंस अधिकारी होगा।

3– पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी के संचालक/लाईसेंसधारी अथवा उसके द्वारा नियुक्त मैनेजर या अधिकृत एजेन्ट के लिए बाजार में आये हुए व्यक्तियों के ठहरने, जानवरों को चारा, हौद में पानी, छायादार पेड़ या अन्य साधनों से छाया की व्यवस्था साफ-सफाई, रोशनी का प्रबन्ध/रखरखाव स्वयं करना होगा।

4– पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी के प्रबन्धों का निरीक्षण समय-समय पर जिला पंचायत के अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। सफाई एवं बिक्री हेतु लाये गये खाद्य पदार्थों की जांच का कार्य चिकित्सा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किया जायेगा। अधिकारियों द्वारा जांच में इंगित कमियों को दूर करना संचालक के लिये अनिवार्य होगा ।

5– एक से अधिक दिन तक चलने वाले पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी में व्यापारियों एवं जनता की सुविधा हेतु शौचालय एवं मूत्रालय की व्यवस्था एवं सफाई कराना संचालक के लिये अनिवार्य होगा।

6– जिला पंचायत के अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, कार्य अधिकारी, कर अधिकारी, क्षेत्रीय अवर अभियंता, कर निरीक्षक, स्वास्थ्य विभाग के उप-मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी चिकित्साधिकारी, स्वास्थ्य एवं खाद्य निरीक्षक के अतिरिक्त अध्यक्ष, जिला पंचायत अथवा लाईसेंस अधिकारी द्वारा अधिकृत कोई भी कर्मचारी किसी भी समय पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी का निरीक्षण कर सकता है।

7– नये पशु मेले, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी आयोजित करने के लिये शान्ति व्यवस्था सम्बन्धी पुलिस विभाग की आख्या प्राप्त होने के उपरान्त जिला पंचायत के लाईसेंस अधिकारी द्वारा लाईसेंस प्रार्थनापत्र पर विचार किया जायेगा।

8– निजी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी लगाने हेतु व्यक्ति/फर्म अन्य आदि द्वारा लाईसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ स्थल का क्षेत्रफल तथा चौहद्दी का पूर्ण विवरण दर्शाते हुए खसरा, खतौनी की प्रमाणित प्रति, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जिलाधिकारी से जारी चरित्र प्रमाण पत्र, भूमि सम्बन्धी अभिलेख (खसरा/खतौनी, सीजरा) अथवा भूमि का रजिस्टर्ड किरायानामा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तभी उस पर विचार किया जायेगा।

9– नवीन पशु पैंठ का लाईसेंस जारी करने से पूर्व लाईसेंस अधिकारी जिला पंचायत, बागपत के किसी अधिकारी/कर्मचारी को जांच अधिकारी नियुक्त करते हुए जांच आख्या प्राप्त करने के बाद लाईसेंस जारी करेगें।

10– जांच अधिकारी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी में पशुओं, व्यापारियों के लिये पानी की व्यवस्था, व्यापारियों के ठहरने की सुविधा, शौचालय/मुत्रालय आदि की सफाई व्यवस्था, यातायात की एवं किसी उचित स्थान पर पशुओं के लदान/ढुलान हेतु अड्डों की व्यवस्था सुचारू रूप से है, इसकी आख्या प्रस्तुत करेगें।

11– पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी आयोजित करने हेतु प्रारम्भ करने की तिथि से एक माह (30 दिन) के पूर्व जिला पंचायत से लाईसेंस प्राप्त करना होगा। लाईसेंस की अवधि 01 अप्रैल से 31 मार्च होगी।

12– जिला पंचायत, बागपत की सीमान्तर्गत किसी पशु मेले, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी के स्थल से 12 किलोमीटर के अन्दर किसी दूसरे पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी लगाने हेतु किसी भी दिन दूसरा कोई लाईसेंस नहीं दिया जायेगा। अन्य दिन का लाईसेंस भी उपरोक्त दूरी के बाद दिया जायेगा।

13– नवीनीकरण कराने हेतु अनिवार्य होगा कि 30 अप्रैल तक लाईसेंस शुल्क जमा कर, लाईसेंस बनवा लिया जाये अन्यथा अंकन 5,000/- (पांच हजार) रुपये प्रतिमाह विलम्ब शुल्क जमा करके ही लाईसेंस प्राप्त किया जा सकेगा।

लाईसेंस नवीनीकरण में भी यही विधि अपनायी जायेगी, परन्तु लाईसेंस नवीनीकरण हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र में लाईसेंस संख्या, दिनांक तथा दिये गये लाईसेंस शुल्क का विवरण अंकित करना होगा।

14– पूर्व से संचालित पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी के लाईसेंस धारक केवल अपने परिवार के सदस्यों के नाम को संशोधित करा सकेंगे, जिसके लिये लाईसेंस शुल्क का 25 प्रतिशत शुल्क अतिरिक्त देय होगा तभी लाईसेंस में उसका नाम दर्ज किया जा सकेगा।

15– पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी के लाईसेंस धारक/संचालक अपनी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी के लाईसेंस का नवीनीकरण लगातार दो वर्षों तक किन्हीं भी कारणों से नहीं कराते हैं, तो लाईसेंस अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बागपत को उसका लाईसेंस निरस्त करके अन्य व्यक्ति/फर्म को अन्य स्थल पर नया लाईसेंस जारी करने का अधिकार होगा।

16– लाईसेंसधारी को किसी भी माननीय न्यायालय से किसी भी धारा के उल्लंघन करने पर दोषी ठहराया जाता है, तो उसका लाईसेंस जब्त किया जायेगा।

17– कोई भी व्यक्ति या संस्था निर्धारित फीस देकर वर्णित अवधि के लिये जिला पंचायत, बागपत से लाईसेंस प्राप्त किये बिना पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी का आयोजन नही कर सकेगा। ऐसा पाये जाने पर उसके विरूद्ध उपविधि के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

18– पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी के लिये निम्नांकित लाईसेंस शुल्क देय होगा–

क्रम सं0	लाइसेंस का विवरण	लाइसेंस शुल्क
1	2	3
		रुपये–
1	वर्ष में एक बार 1 से 15 दिन तक लगातार लगने वाले पशु मेले के लिये लाईसेंस शुल्क	1,00,000.00
2	वर्ष में एक बार 15 दिन से अधिक किन्तु 30 दिन तक लगातार लगने वाले पशु मेले के लिये लाईसेंस शुल्क	2,00,000.00
3	वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में एक दिन लगने वाले पशु बाजार/पशु पैंठ का लाईसेंस शुल्क	3,00,000.00
4	वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में दो दिन लगने वाले पशु बाजार या पशु पैंठ का लाईसेंस शुल्क	3,50,000.00
5	वर्ष में प्रत्येक सप्ताह के प्रत्येक दिवस लगने वाले पशु बाजार या पशु पैंठ का लाईसेंस शुल्क	6,00,000.00

उपविधि भाग-4

1– जिला पंचायत द्वारा सार्वजनिक भूमि पर संचालित पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी में सुगमतापूर्वक आने/जाने वाले पशुओं के लदान/उत्तरान हेतु सार्वजनिक मार्ग के किनारे अड्डों की व्यवस्था जिला पंचायत द्वारा की जायेगी। अड्डों की व्यवस्था एवं संचालन का कार्य स्वयं कर्मचारियों द्वारा/किसी एजेन्सी के द्वारा या ठेकेदार के माध्यम से करेगी।

2– किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा संचालित निजी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी में आने जाने वाले पशुओं के लदान-उत्तरान हेतु अपनी भूमि पर अड्डों की व्यवस्था संचालक द्वारा की जायेगी।

3– पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ, पशु प्रदर्शनी लाईसेंसधारी/संचालक/प्रबन्धक यह सुनिश्चित करेगा कि पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ, पशु प्रदर्शनी से यातायात के आवागमन में कोई बाधा न उत्पन्न हो पाये।

4– यातायात की सुरक्षा तथा पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ तथा पशु प्रदर्शनी में ट्रैफिक की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिये अड्डों के पास वाहनों का पार्किंग स्थल निर्धारित किया जायेगा।

5– पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ, पशु प्रदर्शनी लाईसेंस धारक को पैंठ मेला स्थल की कुल भूमि का एक चौथाई भाग पशुओं की लदान-ढुलान व्यवस्था के लिये आरक्षित रखना होगा।

6– लाईसेंसधारी द्वारा लदान एवं ढुलान व्यवस्था करने की दशा में लाईसेंस अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी की अनुमति के उपरान्त सभी आवश्यक व्यवस्था सम्बन्धित लाईसेंसधारी द्वारा की जायेगी। लाईसेंसधारी को कार्यालय आदेशोंपरान्त जिला पंचायत से लदान-ढुलान के कार्य का लाईसेंस शुल्क अंकन 10,00,000/- (दस लाख) रुपये जिला पंचायत, बागपत को नकद अथवा ''आनलाईन भुगतान'' माध्यम से भुगतान कर लदान-ढुलान पार्किंग शुल्क वसूली लाईसेंस प्राप्त करना होगा। अन्यथा की स्थिति में धनराशि जमा न करने पर जिला पंचायत, बागपत उक्त लदान-ढुलान के कार्य को अपने अधिकारी/कर्मचारियों के माध्यम से शुल्क वसूल करायेगी। लाईसेंसधारी लदान-ढुलान हेतु अड्डों की स्थापना कर जिला पंचायत को निशुल्क उपलब्ध करायेगा।

7– पशु प्रदर्शनी का संचालक/लाईसेंसी पशु प्रदर्शनी में पशुओं के प्रति पशु क्रुरता का निवारण अधिनियम, 1960 के अध्याय-5 में प्रतिबन्धित कार्यवाही एवं प्राविधानित कार्यवाही का अनुश्रवण करना होगा।

8– अड्डों पर पशुओं के लदान एवं उतरान, वाहन पार्किंग शुल्क निम्न प्रकार देय होगा–

क्रम सं0	वाहन पार्किंग शुल्क	शुल्क
1	2	3
		रुपये–
1	खाली मेटाडोर/पिकअप/छोटा ट्रक/छोटे वाहन	50 प्रति वाहन
2	खाली बड़ा ट्रक/कन्टेनर/ट्राम्बे	100 प्रति वाहन
	पशु की श्रेणी लदान शुल्क	
3	छोटा पशु जिसकी आयु 01 वर्ष तक	25 प्रति पशु
4	बकरा, बकरी, भेड़	50 प्रति पशु
5	बड़ा पशु, भैंस, भैंसा, घोड़ा, घोड़ी आदि	100 प्रति पशु

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्रपंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, बागपत यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लघंन करेगा वह अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा जो अंकन 1,000/- (एक हजार) रुपये तक होगा और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थ दण्ड से दण्डित होगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के बाद ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिनके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि उसमें अपराधी अपराध करता है, अंकन 50/- (पचास) रुपये प्रतिदिन तक दण्ड लिया जा सकेगा।

अमित कुमार सिंह,
अपर आयुक्त,
मेरठ मण्डल, मेरठ।

पी0एस0यू0पी0–27 हिन्दी गजट–भाग 3–2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 04 अक्टूबर, 2025 ई० (आश्विन 12, 1947 शक संवत्)

भाग 8

नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

NOTICE

No Legal Responsibility is accepted for the Publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Gazette of Uttar Pradesh. Persons Notifying the Advertisements/Public Notices will remain Solely, Responsible for the Legal Consequences and also for any other Misrepresentation etc.

By Order,
Director.

कार्यालय, नगर पंचायत भीरा, लखीमपुर खीरी

30 अगस्त, 2025 ई0

सं0 553/न0पं0भीरा/2025-26—उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298 के अंतर्गत नगर पंचायत भीरा जनपद-लखीमपुर खीरी द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत सीमा के अंतर्गत ''अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के विलेखों पर कर नियमावली-2025'' प्रस्तावित करते हुए उपरोक्त नियमावली की धारा-301 के अन्तर्गत प्रकाशन के पश्चात उसके किसी बिन्दु या सभी बिन्दुओं पर किसी व्यक्ति/समूह को आपत्ति हो या सुझाव हो तो अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव नगर पंचायत भीरा के कार्यालय में प्रकाशन तिथि से 15 दिन के अन्दर प्राप्त करा सकता है। तत्क्रम में नगर पंचायत भीरा द्वारा बोर्ड बैठक दिनांक 17 अप्रैल, 2025 में प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। तत्क्रम में दैनिक समाचार-पत्र हिन्दुस्तान में दिनांक 11 जून, 2025 व अमर उजाला में दिनांक 12 जून, 2025 में प्रकाशित कराकर 15 दिवस के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किया गया। निर्धारित समावधि 15 दिन के अन्दर कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नही हुआ। बोर्ड बैठक दिनांक 11 जुलाई, 2025 के प्रस्ताव संख्या-112 के द्वारा उपरोक्त उपविधि को उसी रुप में सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी है। निम्नवत उपविधि को गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के विलेखों पर कर नियमावली-2025

1– संक्षिप्त शीर्ष नाम प्रारम्भ प्रवृत्ति–

(क)– यह नियमावली नगर पंचायत भीरा, खीरी के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के विलेखों पर कर नियमावली कहलायेगी।

(ख)– यह उस दिनांक से प्रवृत्त होगी जब तक नगर के भीतर अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के विलेखों पर कर लगाया जाये।

(ग)– यह नगर पंचायत भीरा में स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तानान्तरण के समस्त विलेखों पर प्रवृत्त होगी।

2– **परिभाषायें विषय प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस नियमावली में–**

(क)– अधिनियम का तात्पर्य नगर पंचायत अधिनियम, 1916 (यू0पी0 एक्ट संख्या-2 सन् 1916) से है।

(ख)– नगर का तात्पर्य नगर पंचायत भीरा से है।

(ग)– शुल्क का तात्पर्य इण्डियन स्टाम्प एक्ट, 1899 (एक्ट संख्या-2 1899) के अधीन अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के किसी विलेख पर लगाये गये शुल्क से है।

(घ)– इण्डियन स्टाम्प एक्ट का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित इण्डियन स्टाम्प एक्ट, 1899 (एक्ट संख्या-2 1899) से है।

(ड़)– नगर पंचायत का तात्पर्य नगर पंचायत भीरा खीरी से है।

(च)– अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत भीरा खीरी के अधिशासी अधिकारी से है।

(छ)– कर का तात्पर्य अधिनियम की धारा-128 की उपधारा (1) के खण्ड (XIV-ख) के अधीन लगाये गये कर से है।

3– नगर पंचायत के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के किसी विलेख पर इण्डियन स्टाम्प एक्ट द्वारा लगाया गया शुल्क हस्तान्तरित सम्पत्ति के मूल्य पर अथवा भाग बन्धक की दशा में दस्तावेज द्वारा प्रतिभूत धनराशि पर 2 प्रतिशत दर से बढ़ाकर किया जायेगा।

4– कर लगाने की प्रक्रिया उक्त वृद्धि के फलस्वरुप उगाही गयी समस्त धनराशि प्रासांगिक व्ययों को यदि कोई हो, काट लेने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा नगर पंचायत को निम्नलिखित रीति से अदा की जायेगी।

1– अब कभी नगर के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण का कोई दस्तावेज निबन्धन के लिये प्रस्तुत किया जाये तो निबन्धन अधिकारी यह सुनिश्चित कर लेगा कि इण्डियन स्टाम्प एक्ट की धारा-27 में निर्दिष्ट ब्यौरे निम्नलिखित के सम्बन्ध में पृथक्-पृथक् दिये गये है–

(क)– नगर के भीतर स्थित सम्पत्ति।

(ख)– नगर के बाहर स्थित सम्पत्ति।

2– यदि ऐसे ब्यौरे दस्तावेज में पृथक्-पृथक् व दिये गये हो तो निबन्धन अधिकारी उसे कलेक्टर को अधिनियम की धारा-128क की उपधारा (4) धारा नगर पालिकाओं पर यथा प्रवृत्त इण्डियन स्टाम्प एक्ट की धारा-64 के अधीन आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजेगा।

5— कर के लेख रचना निबन्धक अधिकारी भीरा खीरी प्रत्येक दस्तावेज के सम्बन्ध पृथक्-पृथक् लेख रखेगा, जिसमें शुल्क व कर दिखायेगा।

6— निबन्धन अधिकारी जो दीवानी न्यायालय द्वारा दिये गये विक्रय के प्रमाण-पत्रों को प्रतिलिपियां प्राप्त कर और इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 एक्ट, संख्या-16, 1988-1989 के अधीन उन्हें अपनी पुस्तक संख्या-1 में नत्थी करें तथा राजस्व अधिकारीगण शुल्क और कर का उसी प्रकार लेखा रखेगा।

7— निबन्धक अधिकारी जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में पृथक्-पृथक् तिमाही विवरण-पत्र तैयार करेगा जिसमें यह शुल्क और कर के रुप में वसूली की गयी धनराशि और उसे जिला निबंधक को उक्त प्रत्येक महीने के पांचवे दिनांक तक प्रस्तुत करेगा।

1— निबन्धक महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

2— कनिष्ठ सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

3— अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत भीरा-खीरी।

4— महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

8— नगर पंचायत भीरा की ओर से उगाही कर की धनराशि ऐसे प्रासंगिक व्ययों को जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जायेंगे काट लेने के पश्चात् प्रत्येक तिमाही के अन्त में नगर पंचायत भीरा को लौटा दी जायेगी प्रतिदिन की धनराशि प्राप्त करने के लिये अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत भीरा-खीरी प्रत्येक तिमाही के कनिष्ठ सचिव राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की फाइनेन्शियल हैण्ड बुक खण्ड-1 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-19 में एक बिल प्रस्तुत करेंगी। कनिष्ठ सचिव द्वारा बिल स्वीकृत किये जाने के पश्चात् उसकी एक प्रतिलिपि अधिशासी अधिकारी को लौटा दी जायेगी जो स्वीकृत बिल के प्रस्तुत किये जाने पर स्थानीय कोषागार से प्रतिदिन की धनराशि प्राप्त करेगी।

9— (1)— नगर पंचायत की ओर से उगाही गयी कर की धनराशि ऐसे प्रासंगिक व्ययों जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जायें काट लेने के पश्चात् प्रत्येक तिमाही के अन्त में नगर पंचायत को लौटा दी जायेगी, प्रतिदिन की धनराशि प्राप्त करने के लिये अधिशासी अधिकारी प्रत्येक तिमाही में कनिष्ठ सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को फाइनेन्शियल हेड बुक खण्ड-5 भाग के प्रपत्र संख्या-19 में दो प्रतियों में एक बिल प्रस्तुत करेगा, कनिष्ठ सचिव द्वारा बिल स्वीकृत किये जाने के पश्चात् उसकी एक प्रतिलिपि अधिशासी अधिकारी को लौटा दी जायेगी जो स्वीकृत बिल के प्रस्तुत किये जाने पर स्थानीय कोषागार से प्रतिदिन की धनराशि प्राप्त करेगा।

(2)— नगर पंचायत भीरा निबन्धन और स्टाम्प विभाग के कर्मचारियों को ऐसा मासिक/पारिश्रामिक का भुगतान भी करेगा, जो नगर पंचायत के पश्चात् के परामर्श से राज्य सरकार निर्धारित करें।

10— अभिलेखों का निरीक्षण अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा तदर्थ उपविधि प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति किसी शुल्क का भुगतान किये बिना कर की उगाही और नगर पंचायत को उसकी वापसी के सम्बन्ध में निबन्धन कार्यालय के किसी अभिलेख का निरीक्षण कर सकता है।

चारू
अध्यक्ष,
नगर पंचायत भीरा, खीरी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम यशी शुक्ला (Yashi Shukla) पुत्री ओम प्रकाश शुक्ला जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–3816 3865 7995 में उसका नाम अंजली शुक्ला अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम यशी शुक्ला (Yashi Shukla) पुत्री ओम प्रकाश शुक्ला के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

ओम प्रकाश शक्ला पुत्र श्री कलाप नाथ शुक्ला,
निवासी–ग्राम, शुक्लहिया, पोस्ट–जनवारा,
तहसील–बीकापुर, जिला आयोध्या, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम मो0 तहसीन पुत्र मो0 आसिक है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख एवं आधार कार्ड सं0–9211 6689 5094 में अंकित है। मैने अपने पुत्र का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार उसका नाम मो0 तहसीम से बदलकर कैलिफ खान रख लिया है। भविष्य में मेरे पुत्र को कैलिफ खान पुत्र मो0 आसिक के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

मो0 आसिक पुत्र अब्दुल रज्जाक,
ई0–10 लच्छीपुरा कालोनी, नदेसर, वाराणसी,
वाराणसी कैण्ट, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम कीर्ति गुप्ता (Kirti Gupta) पुत्री पवन कुमार अग्रहरि है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–9875 1647 1151 में उसका नाम सौम्या गुप्ता अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम कीर्ति गुप्ता (Kirti Gupta) पुत्री पवन कुमार अग्रहरि के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

पवन कुमार अग्रहरि,
पुत्र सुरेश चन्द्र अग्रहरि,
निवासी 1402, रूद्र नगर, सुल्तानपुर सिटी,
सुल्तानपुर (उ0प्र0)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम संस्कृति मौर्या (SANSKRTI MAURYA) पुत्री राजेश कुमार मौर्या है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं–8382 8001 9535 में मेरा नाम सस्कृति मौर्या (SASKRITI MAURYA) हो गया है जो कि गलत है, भविष्य में मुझे मेरे सही नाम संस्कृति मौर्या (SANSKRTI MAURYA) पुत्री राजेश कुमार मौर्या के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

संस्कृति मौर्या,
पुत्री राजेश कुमार मौर्या,
पता– करनपुर, ढेमा सिंगरामऊ,
जौनपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम निर्मला देवी (NIRMLA DEVI) पत्नी धरमपाल है जो कि मेरे वोटर कार्ड, गैस पासबुक तथा उपजिलाधिकारी द्वारा जॉच रिपोर्ट में भी अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0– 4490 8314 7366 में मेरा नाम मंझी (MANJHI) अंकित हो गया है जो मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम निर्मला देवी (NIRMLA DEVI) पत्नी धरमपाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

निर्मला देवी पत्नी धरमपाल,
ग्राम संगरहा, पोस्ट बैरमपुर,
थाना पश्चिम शरीरा, तहसील मंझनपुर,
जनपद कौशाम्बी, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अनुप्रिया साहू पुत्री राज है, जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–7727 5090 3334 में उसका नाम टुरटी साहू अंकित हो गया है, जो कि गलत नाम है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अनुप्रिया साहू पुत्री राज के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

राज,
निवासी– आदमपुर पावन,
प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अभिषेक भारती पुत्र अशर्फी लाल है, जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों, आधार कार्ड व पैन कार्ड में अंकित हैं मेरे पिता के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश अभिषेक भारती के स्थान पर मेरा नाम केवल अभिषेक अंकित हो गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है। उपरोक्त दोनो नाम मेरा ही है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अभिषेक भारती पुत्र स्व0 अशर्फी लाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अभिषेक भारती,
पता–195 चकेरी पाली मार्ग, सैयांगोझा,
पोस्ट सनिगवाँ, थाना–चकेरी,
जनपद कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अक्षय निषाद पुत्र बंशलाल है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–6984 9173 6446 में मेरा नाम अजय निषाद अंकित हो गया जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अक्षय निषाद पुत्र बंशलाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अक्षय निषाद पुत्र बंशलाल,
निवासी– मकान नम्बर 984 राजीव नगर,
यशोदा नगर, किदवई नगर,
कानपुर नगर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम शिरोमणि यादव पुत्र जितेन्द्र यादव है उनके शैक्षणिक अभिलेख में त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–3304 0173 4229 में उनका नाम बेबी सन आफ गीता देवी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम शिरोमणि यादव पुत्र जितेन्द्र कुमार यादव के नाम से जाना व पहचाना जाय।

जितेन्द्र कुमार यादव,
पत्नी गीता देवी यादव,
गांव रामापुर पोस्ट रामापुर, बधुवा कला,
(हसनपुर), जिला–सुल्तानपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम PRADEEP KUMAR पुत्र RAJARAM है जो मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे सेवा से सम्बन्धित अभिलेखों में कही पर मेरा नाम PRADEEP KUMAR तथा कहीं पर PRADIP KUMAR अंकित हो गया है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम PRADEEP KUMAR पुत्र RAJARAM के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

PRADEEP KUMAR पुत्र RAJARAM,
पता– 23डी/IN/1 गंगानगर पुराना,
फाफामऊ प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम राघवेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र संदीप कुमार सिंह है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–5384 0298 8630 में उसका नाम प्रिंश सेठ अंकित हो गया है। जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम राघवेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र संदीप कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

संदीप कुमार सिंह,
पुत्र बेनी माधव सिंह,
निवासी– 548 जी0 धनश्याम नगर,
रेलवे कालोनी, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अर्तिका सिंह पुत्री पुनीत कुमार सिंह है जो उसके शैक्षिक अभिलेख, जन्म प्रमाण पत्र एवं विद्यालय प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–6909 2173 2808 में उसका नाम अंशिका सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत हैं भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अर्तिका सिंह पुत्री पुनीत कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

पुनीत कुमार सिंह,
पुत्र राम कुमार सिंह,
निवासी– 128/592/185 सी0के0,
ब्लाक0 यशोदा नगर कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम शौर्य प्रताप चन्द पुत्र अभय प्रताप चन्द है जो कि उसके शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–3517 1588 2416 में उसका नाम वैभव प्रताप चन्द अंकित हो गया है जो कि गलत नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम शौर्य प्रताप चन्द के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अभय प्रताप चन्द, पुत्र राधेश्याम चन्द,
एच0आई0जी0 19 शास्त्रीपुरम कालोनी,
गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम पावन्या पुत्री पशुपति नाथ भूषण है जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–8503 4816 5809 में उसका नाम आद्या अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम पावन्या पुत्री पशुपति नाथ भूषण नाम से ही जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

पशुपति नाथ भूषण,
निवासी– 280/1 बाबू पुरवा कालोनी,
किदवई नगर, कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम हेतान्श यादव पुत्र धर्मकुंवर सिंह यादव है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख व आधार कार्ड नंम्बर–6295 6653 3288 में अंकित है। मैं अपने पुत्र के स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार उसका नाम हेतान्श यादव से बदलकर अव्यान यादव (AVYAN YADAV) पुत्र धर्मकुंवर सिंह यादव रख लिया है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अव्यान यादव (AVYAN YADAV) पुत्र धर्मकुंवर सिंह यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

प्रीती यादव,
पत्नी धर्म कुंवर सिंह यादव,
निवासिनी– 63 ग्राम नंदुपुर, पो0 रूदौली,
तहसील चुनार, जिला मिर्जापुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम विक्की वर्मा VICKY VERMA पुत्र मंगला प्रसाद MANGLA PRASAD है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–9201 3605 1151 में मेरा नाम बिक्की वर्मा BICKY VERMA अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम विक्की वर्मा VICKY VERMA पुत्र मंगला प्रसाद के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

विक्की वर्मा,
छिरिया, लखमीपुर, लखमीपुर,
वाराणसी, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आयांश यादव पुत्र श्री विनोद कुमार यादव है जो कि उसके जन्म प्रमाण में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–3207 5598 9218 में उसका नाम पियुश अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आयांश यादव पुत्र श्री विनोद कुमार यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

विनोद कुमार यादव,
पता–कस्नही, पोस्ट सेउरा, सेउर,
तहसील मछलीशहर, जौनपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम गौरवी दूबे पुत्री दिनकर चन्द्र दूबे है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–7210 6125 2447 में उसका नाम गवरी दूबे पुत्री दिनकर चन्द्र दूबे अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम गौरवी दूबे पुत्री दिनकर चन्द्र दूबे के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

दिनकर चन्द्र दूबे, पुत्र रमाकान्त दूबे,
पूरे गोलिया, रानीगंज प्रतापगढ़।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम वीणा शुक्ला पुत्री सच्चिदा नन्द शुक्ल है, जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–9838 5252 7692 में मेरा नाम वीणा अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम वीणा शुक्ला पुत्री सच्चिदा नन्द शुक्ल पत्नी अनुराग त्रिपाठी के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

वीणा शुक्ला, पत्नी अनुराग त्रिपाठी,
निवासिनी– नराई कुण्डा,
दाखवापुर, जिला–प्रतापगढ़।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम विमलेश पुत्र बल्लू है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–7469 5613 3908 में मेरा नाम विमलेश पाल अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम विमलेश पुत्र बल्लू के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

विमलेश पुत्र बल्लू,
निवासी– मडेपुर उमरी कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम मनीष कश्यप पुत्र स्व0 रामू कश्यप है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0– 6720 1523 8236 में मेरा नाम मनीष अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम मनीष कश्यप पुत्र स्व0 रामू कश्यप के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

मनीष कश्यप पुत्र स्व0 रामू कश्यप,
नि0– 59बी, कृष्णालोक कालोनी, फैजुल्लागंज,
घैला, लखनऊ, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अर्जित तिवारी पुत्र स्व0 विरेन्द्र तिवारी है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–7680 5145 9825 में मेरा नाम अजय तिवारी हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे

सही नाम अर्जित तिवारी पुत्र स्व0 विरेन्द्र तिवारी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अर्जित तिवारी,
पुत्र स्व0 विरेन्द्र तिवारी,
निवासी– प्लाट सं0 06 विल्ल तरहिया,
आई0आई0एम0 रोड लखनऊ, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम पिंकी यादव पुत्री हृदयनंद यादव है जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्री के आधार कार्ड सं0–4325 4502 5327 में उसका नाम कुमार गोल्डी हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम पिंकी यादव पुत्री हृदयनंद यादव के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

हृदयनंद यादव ,
रामनगर, जिगिरसंड, बलिया,
जिगिरसंड, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम कृष्ण पाण्डेय पुत्र श्री सत्य प्रकाश पाण्डेय है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–9341 0227 4585 में उसका नाम जीतू पाण्डेय पुत्र सत्य प्रकाश पाण्डेय अंकित जो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम कृष्ण पाण्डेय पुत्र सत्य प्रकाश पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

ललिता देवी,
किलहनापुर कुण्डा प्रतापगढ़।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम JAI DEEP KUMAR पुत्र YASHVANT SINGH है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–2458 2490 4619 में मेरा नाम JAIDEEP KUMAR अंकित हो गया है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम JAI DEEP KUMAR पुत्र YASHVANT SINGH के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

जय दीप कुमार,
नि0– मोहम्मदाबाद पो0 भोपतपुर,
तह0 हण्डिया, जिला–प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम सात्विक कुमार कश्यप है, जो कि उसके शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–3185 0567 3062 में उसका नाम समय कश्यप अंकित है, जो कि घरेलू नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम सात्विक कुमार कश्यप पुत्र श्री संजय कुमार कश्यप के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

संजय कुमार कश्यप,
पुत्र स्व0 फूलचन्द राम,
निवासी– ग्राम भेलखाँ शिवपुर,
जिला–वाराणसी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का शुद्व व सही नाम जागृति सिंह पुत्री राम किंकर है, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–6730 9868 5658 में उसका नाम त्रिशा सिंह दर्ज हो गया है, जो कि अशुद्व एवं गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम जागृति सिंह पुत्री राम किंकर के नाम से जाना एवं पहचाना जाय।

उपरोक्त के सम्बन्ध में मेरे द्वारा समस्त विधिक औपचारिकताए पूर्ण कर ली गयी है।

राम किंकर पुत्र इसुलाल,
निवासी– मोहल्ला जय राम गिरि का बगीचा,
घंटाघर, तहसील सदर मीरजापुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सिद्धार्थ वर्मा पुत्र बल बहादुर है। जो मेरे शैक्षिक अभिलेख, निर्वाचन कार्ड, पैन कार्ड एवं ड्रावि्ंग लाइसेंस में अंकित है। त्रुटिवश आधार कार्ड सं0–5851 1270 8023 में मेरा नाम हीरालाल अंकित हो गया है। जो कि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझें मेरे सही नाम सिद्धार्थ वर्मा पुत्र बल बहादुर के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सिद्धार्थ वर्मा, पुत्र बल बहादुर,
निवासी– 592 आवास विकास नं0 3,
पनकी रोड़ कल्यानपुर कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अनिकेत कुमार पुत्र किशन पाल है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–5545 8392 8098 में उसका नाम पिन्टू कुमार अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अनिकेत कुमार पुत्र किशन पाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

किशन पाल पुत्र छोटा,
निवासी– ग्राम मोहनपुर नौबस्ता,
कानपुर देहात उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सिया गुप्ता पुत्री ओम नारायन गुप्ता है। जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख, बैंक पासबुक एवं आधार कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश एल0आई0सी0 पॉलिसी सं0–233550934 में मेरा नाम भूमि गुप्ता अंकित है। जो कि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सिया गुप्ता पुत्री ओम नारायन गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सिया गुप्ता,
पुत्री ओम नारायन गुप्ता,
निवासिनी 124/360(4)बी0,
ब्लाक गोविन्द नगर कानपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम नूरजहाँ पत्नी मुख्तार है जो मेरे बैंक पासबुक, निर्वाचन, परिवार रजिस्टर नकल, खतौनी, राशनकार्ड में अंकित है त्रुटिवश आधार कार्ड सं0–8075 8182 5155 में मेरा नाम जाहिदा बेगम अंकित हो गया जो कि घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम नूरजहाँ पत्नी मुख्तार के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

नूरजहाँ पत्नी मुख्तार,
नि0– ग्राम बहाउद्दीनपुर परगना अल्देमऊ,
तहसील कादीपुर, जिला सुलतानपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम प्रदीप कुमार गुप्ता (Pradeep Kumar Gupta) पुत्र कन्हैयालाल गुप्ता (Kanhaiya Lal Gupta) जो मेरे मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक, पैंन कार्ड, बिजली बिल, डी0एल0 में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–4579 8906 4135 में मेरा नाम महीप कुमार गुप्ता पुत्र कन्हैयालाल गुप्ता अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम प्रदीप कुमार गुप्ता पुत्र कन्हैयालाल गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

प्रदीप कुमार गुप्ता,
पुत्र कन्हैयालाल गुप्ता,
निवासी– टी0बी0 हास्पिटल अर्जी बाबूपुर,
पो0 कचहरी हुसेनाबाद जौनपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अंकित कुमार पुत्र रामेश्वर राम है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–7931 6457 4604 में मेरा नाम अनिकेत कुमार हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अंकित कुमार पुत्र रामेश्वर राम के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अंकित कुमार,
पता– ग्राम व पोस्ट–सौरम,
थाना नन्दगंज, जनपद गाजीपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सूर्य प्रताप सिंह पुत्र राम पाल सिंह है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–3416 1024 3794 में मेरा नाम रंजीत प्रताप सिंह अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सूर्य प्रताप सिंह पुत्र राम पाल सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सूर्य प्रताप सिंह पुत्र राम पाल सिंह,
निवासी–ग्राम नौहर हुसैनपुर, पोस्ट–पाइक नगर,
रखा, पीके नगर प्रतापगढ़।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम बिन्देश्वरी देवी (Bindeswari Devi) पत्नी समरजीत है जो मेरे पति के सेवा सम्बन्धित अभिलेखों व निर्वाचन कार्ड व परिवार रजिस्टर एवं उपजिलाधिकारी महोदय द्वारा जांच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–3671 7720 3751 में मेरा नाम विन्देश्वरी (Vindeswari) पत्नी समरजीत अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम बिन्देश्वरी देवी (Bindeswari Devi) पत्नी समरजीत के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

बिन्देश्वरी देवी पत्नी समरजीत,
निवासी– पूरेदुर्जन बेलहनि, लालगंज, डलमऊ,
बेलहनी रायबरेली, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे शैक्षिक अभिलेख एवं आधार कार्ड सं0–7446 3811 2111 के अनुसार मेरा सही नाम मंजू सिंह पत्नी अखिलेश सिंह है। त्रुटिवश मेरे पति के आर्मी सर्विस अभिलेख में मेरा नाम रिमझिम सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मंजू सिंह पत्नी अखिलेश सिंह पुत्री स्व0 रामलौट सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

मंजू सिंह पत्नी अखिलेश सिंह,
निवासिनी–ग्राम भौनी का पुरवा,
पोस्ट गोपालपुर, जिला रायबरेली, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम ध्रुव तिवारी पुत्र संतोष कुमार तिवारी है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–4034 5470 6494 में उसका नाम सौभाग्य तिवारी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम ध्रुव तिवारी पुत्र संतोष कुमार तिवारी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

संतोष कुमार तिवारी सुत उमाकांत तिवारी,
निवासी–जी–312 गुजैनी उद्योगनगर,
कानपुर नगर, उ0प्र0।

सूचना

एत्तद्वारा सूचित किया जाता है कि फर्म मे० मदार राइस इण्डस्ट्रीज ग्रा० शेरपुर कलाँ, तहसील पूरनपुर जिला पीलीभीत जोकि सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स बरेली में पंजीकृत है। यह कि 5 साझेदार श्री इजहार अहमद खाँ, श्री कमल भण्डारी, श्रीमती इलमास परवीन, मो० आसिफ एवं श्री इशराक खाँ साझेदार थे। दिनाँक 01 अप्रैल, 2025 को एक नई साझेदारी बनी जिससे श्री कमल भण्डारी एवं मो० आसिफ अपनी सहमति से फर्म की साझेदारी से निकल रहे है। तथा इसी तिथि से श्री अरवाज खाँ फर्म में शामिल हो रहे हैं। वर्तमान में 4 साझेदार कमशः श्री इजहार अहमद खाँ, श्री इशराक खाँ, श्रीमती इलमास परवीन, एवं श्री अरवाज खाँ साझेदार है।

श्री इजहार अहमद खाँ,
मे0 मदार राइस इण्डस्ट्रीज शेरपुर कलाँ,
पूरनपुर जिला पीलीभीत।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम मुरई पुत्र बाबू लाल है। जो मेरे आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड व बैंक पासबुक में अंकित है। त्रुटिवश एल0आई0सी0 पॉलिसी सं0–231148414 में मेरा नाम रामकिशोर निषाद अंकित हो गया है जो कि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम मुरई पुत्र बाबू लाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

मुरई पुत्र बाबू लाल
निवासी–शीशूपुर, कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आदित्य झा पुत्र पुरूषोत्तम कुमार झा है जो उसके विद्यालय प्रमाण पत्र, अंक तालिका में अंकित

है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–8214 7688 0609 में उसका नाम नारायन झा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आदित्य झा पुत्र पुरूषोत्तम कुमार झा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

पुरूषोत्तम कुमार झा पुत्र शोभा कांन्त झा,
निवासी– 564 न्यू बस्ती शिव नगर मसवानपुर,
रावतपुर, कानपुर।

NOTICE

The is to inform the general public that my son's real name is Mohd Musaib, son of Mohammed Shamim, as listed in his educational records and Aadhaar card. Due to my son's poor health, I have changed his name from Mohd Musaib to Mohammad Shayan, based on the advice of my astrologer. In the future, my son will be known and recognized as Mohammad Shayan, son of Mohammed Shamim.

Mohd. Shamim, son of Shri Mohd Yakub,0
Resident of House No. 181/4,
Deharia Street, Disrtict. Moradabad.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे आधार कार्ड नं0–4686 0338 5434 में मेरा नाम नीधि यादव (NIDHI YADAV) अंकित हो गया है। जो कि गलत है, जबकि मेरे शैक्षिक अभिलेख के अनुसार मेरा वास्तविक नाम प्रीति यादव है। मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जाय।

प्रीति यादव,
पुत्री दिवाकर यादव,
पता–ग्राम व पोस्ट पिछौरा,
जनपद गोरखपुर, उ0प्र0।

पी0एस0यू0पी0–27 हिन्दी गजट–भाग 8–2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।